पंचम माला, खंड 62, अंक 43, गुरुवार, 20 मई, 1976/30 वैशाख, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXII, No. 43, Thursday, May 20, 1976/Vaisakha 30, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 62 में अंक 41 से 48 तक हैं
Vol. LXII contains Nos. 41 to 48]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

1—533LSS/76

विषय सूची/CONTENTS

खंड 62, अंक 43 गुरुवार, 20 मई, 1976/30 वैशाख, 1898 (शक)

Vol. LXII, No. 43, Thursday, May 20, 1976/Vaisakha 30, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1—3
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	3—7
आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में खाद्यान्नों को हुई हानि का समाचार	Reported damage to foodgrains in coastal districts of Andhra Pradesh	3—7
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	3—5
श्री शाहनवाज खान	Shri Shahnawaz Khan	5—7
भारत-कनाडा आणविक वार्ता के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Indo-Canadian Nuclear Discussions :	7—9
श्री यशवन्त राव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan	7—9
दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयक—**पुरःस्थापित**	Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Bill—**Introduced.**	9
जीवन बीमा निगम (समझौते में रूप भेद) विधेयक	Life Insurance Corporation (Modification of Settlement) Bill	9
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	9
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munsi	9—11
श्री पी० एम० मेहता	Shri P. M. Mehta	11—13
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar	13—14
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	14—15
श्री चंदूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar	15
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	15—16
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy	16—17
श्री नवल किशोर सिन्हा	Shri Nawal Kishore Sinha	17—18
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	18
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	18—20
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan	20—21
डा० कैलास	Dr. Kailas	21
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	21—22
श्री मूलचंद डागा	Shri M. C. Daga	22
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	22—23
श्री सी० सुब्रह्मण्यम्	Shri C. Subramaniam	23—28

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	28—30
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	30
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	30
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	30—32
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	32—33
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	33
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	33—35
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	Disturbed Areas (Special Courts) Bill Motion to consider	35
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	35
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	35—36
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	36—37
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	37
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	38
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	38—39
श्री बी० वी० नायक	Shi B. V. Naik	39—40
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	40
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान	Shri Md. Jamilurrahman	40
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jaganath Mishra	40
खण्ड 2 से 10 और 1	Clauses 2 to 10 and 1	42—44
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	43—44
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	41—44
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	44
विवाह विधि (संशोधन) विधेयक— विचार करने का प्रस्ताव	Marriage Laws (Amendment) Bill Motion to consider	45—47
श्री एच० आर० गोखले	Shri H. R. Gokhale	45—47

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 20 मई, 1976/30 वैशाख 1898 (शक)

Thursday, May 20, 1976/Vaisakha 30, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Elevent of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा-पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

नागालैंड सरकारी भूमि अप्राधिकृत अधिभोगी बेदखली (संशोधन) अधिनियम, 1976

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं नागालैंड राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नागालैंड सरकारी भूमि अप्राधिकृत अधिभोगी बेदखली (संशोधन) अधिनियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 1) की एक प्रति, जो दिनांक 5 मार्च 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी०-10878/76]**

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (14वां संशोधन) नियम, 1976

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (14वां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 658 में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी०-10879/76]**

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम को वर्ष 1974-75 की समीक्षा और उस का वार्षिक प्रतिवेदन और मारमागोआ तथा कलकत्ता पत्तन न्यासों के क्रमशः 1974-75 और 1973-74 के वार्षिक लेखे

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणीयां । [**ग्रंथालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी०-10880/76**]

(2) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) मारमागोआ पत्तन न्यास के वर्ष 1974-75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [**ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी० 10881/76**]

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1973-74 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन । [**ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी०-10882/76**]

ACCOUNTS OF AIIMS, NEW DELHI FOR 1971-72 AND 1972-73, STATEMENTS AND CIGARETTES (REGULATION OF PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) RULES, 1976

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING (Chowdhury Ram Sevak)) : Mr. Speaker, Sir. On behalf of Shri A.K.M. Ishaque I beg to lay on the Table :—

(1) A copy each of the following documents (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 18 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956:—

(i) Certified Annual Accounts of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for the year 1971-72.

(ii) Certified Annual Accounts of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi for the year 1972-73.

(2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above documents. [*Placed in Library See* No. LT-10883/76]

(3) A copy of the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Rules, 1976, (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 266(E), in Gazette of India dated the 31st March, 1976, under sub-section (3) of section 21 of the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975. (*Placed in Library See* No. LT-10884/76)

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 1374 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विस्कोस स्टेपल रेशा वितरण आदेश, 1972 रद्द किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी-10885/76**]

अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा केन्द्रीय संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त दस्तावेज के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बतानेवाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-10886/76**]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में खाद्यान्नों को हुई हानि का समाचार

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरू) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :—

"आन्ध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी तथा अन्य तटीय जिलों में किसानों और चावल मिल-मालिकों से भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गये कई हजार मीटरी टन चावल और धान के तथा आयातित गेहूं के भी खुले स्थानों में रखे जाने के कारण गरम मौसम तथा उसके बाद हाल की भारी वर्षा के परिणमस्वरूप नष्ट होने के समाचार"

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) . खरीफ और रबी मौसमों के दौरान अभूतपूर्व और भारी अभि-प्राप्ति करने और देश में खाद्यानों की अत्यधिक उपलब्धता के कारण सार्वजनिक वितरण से निकासी में कमी होने के फलस्वरूप, पिछले कुछेक महीनों में भारतीय खाद्य निगम के पास भण्डार में पर्याप्त वृद्धि हुई है । क्योंकि स्टाक को रखने के लिए ढका हुआ पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं था, इसलिए भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों को खुले में रखना पड़ा था हालांकि उन्हें उपयुक्त रूप से ढक दिया गया था और उन्हें विभिन्न राज्यों के परित्यक्त हवाई पट्टियों पर भी खाद्यान्नों का भण्डारण करना पड़ा था।

यह बताया जाता है कि टाडा पल्लीगुडम में, जहां कि परित्यक्त हवाई पट्टी पर खाद्यान्नों का भण्डारण किया गया है, वहां पर 13 तारीख को 60 मि० मी० और 16 तारीख को 30 मि० मी० वर्षा हुई थी । इस हवाई मैदान पर उपयुक्त निभार के साथ हवाई सड़क पर विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए जा रहे स्टाक के चट्टे लगाए जाने थे। 5,000 चावल की बोरियों का कुछेक स्टाक, जिसे प्राप्त किया जाना था वर्षा के कारण गीला हो गया था। माल का निस्तारण करने का कार्य तुरन्त ही शुरू किया गया। अब तक 2,000 बोरियों का निस्तारण किया जा चुका है और बताया जाता है कि इनमें से कुल 8 क्विंटल को ही क्षतिग्रस्त पाया गया। निस्तारण संबंधी कार्य चल रहा है और शीघ्र ही शेष स्टाक का भी निस्तारण किया जाएगा। आशा है कि 5,000 प्रभावित बोरों में से 12 से 15 क्विंटल से अधिक की क्षति नहीं होगी। पश्चिमी गोदावरी के समाहर्ता ने भी उक्त स्थान का दौरा किया था और उन्होंने यह सत्यापित किया है कि क्षति केवल मामूली हुई है और निस्तारण सम्बन्धी कार्य ठीक ढंग से चल रहे हैं। यह भी बताया गया है कि कृष्णा जिला के विभिन्न स्थानों में खुले स्थानों पर ढक कर रखे गए 55,000 मी० टन खाद्यान्नों में से लगभग 4 मीटरी टन खाद्यान्न वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गया था।

खुले में रखे गए स्टाक को उपयुक्त रूप से सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाएगा।

श्री के० सूर्यनारायण : माननीय मंत्री ने जो मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया है मैं उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि खाद्यान्नों को नुक्सान नहीं पहुंचा है। अधिकारी तो कभी मानते नहीं हैं। ऐसा नुक्सान पहले भी कई बार हो चुका है। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि 1967-68 और 1969 में वर्षा के कारण खुले वैगनों में पड़े लगभग 12.250 मिलियन टन खाद्यान्न नष्ट हो गया था।

सब से पहले मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव खाद्य मंत्रालय या भारतीय खाद्य निगम के किसी अधिकारी की शिकायत करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। हमें मालूम है कि भारतीय खाद्य निगम धान और चावल की बड़ी मात्रा का समाहार करने का बहुत बड़ा काम कर रहा है। परन्तु फिर भी हम ऐसी घटनाओं से अपनी आंखें मूंद नहीं सकते।

मैं अपने पश्चिमी गोदावरी जिले की बात बताना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि भारतीय खाद्य निगम ने इस जिले में अब तक लगभग 1,90,000 टन चावल और लगभग 16,000 टन धान का समाहार किया है। दूसरे राज्यों को इन वस्तुओं का निर्यात करने के बाद भी यहां पर 1,20,000 टन चावल स्टाक में है जो खुले में पड़ा है। इसके अलावा 14,000 मिलियन टन आयातित गेहूं और सारे का सारा धान वहां पर खुले में पड़ा हुआ है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब वहां पर इतना स्टाक रखने की व्यवस्था नहीं है तो फिर इतना स्टाक क्यों जमा किया गया?

भारतीय खाद्य निगम के जिला प्रबन्धक के साथ मैं 16 मई को एक स्टोर में गया। मैंने वहां देखा कि धान की बोरियां खुले में पड़ी थीं। खाद्यान्न 6 स्थानों पर रखा हुआ था। मुझे नहीं पता कि दूसरे पांच स्थानों पर स्थिति क्या थी। वर्षा खूब हो रही थी। मुझे नष्ट हुई पूरी मात्रा की जानकारी नहीं है। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता परन्तु क्या हमें समय पर इन चीजों के लिए व्यवस्था नहीं कर लेनी चाहिए? मुझे आशा है कि खाद्य मंत्रालय इस समस्या को हल करने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करेगा।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि इसके लिए गांवों के बड़े मकानों तथा धान के गोदामों का प्रयोग किया जाना चाहिए। योजना आयोग ने 1976-77 में भाण्डागार स्थापित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के लिए 21.5 करोड़ रुपए नियत किए हैं। भाण्डागार शीघ्रतिशीघ्र बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी तथा अन्य तटीय जिलों में खाद्यान्नों को क्या और कितनी क्षति पहुंची इस बारे में जांच करने का काम वरिष्ठ अधिकारियों और खाद्य तकनीशिनों को सौंपना चाहिए और उन्हें सरकार को प्रतिवेदन देने का आदेश देना चाहिए। उन्हें इस बारे में भी सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए कि ऐसा खाद्यान्न मानव उपयोग के लिए ठीक भी है या नहीं। ऐसा पता लगाना इस लिए भी आवश्यक है क्योंकि खराब खाद्यान्न से मिर्गी आदि की बीमारी लगने का डर होता है जैसा कि हाल में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हुआ है।

श्री शाहनवाज़ खां: इस वर्ष खरीफ की फसल बहुत ही अधिक अच्छी हुई है। यहां तक कि इतनी पहले कभी नहीं हुई है। इसलिये सरकार ने लक्ष्य से भी अधिक अनाज खरीद लिया है। अब उसे रखने की समस्या है क्यों कि हमारे पास जो स्थान हैं वह कम हैं। पहले हम अनाज तिरपालों से ढक कर खुले में ही रख देते थे और इतना अधिक नुक्सान भी नहीं होता था। इस वर्ष भी हमें पहले की तरह अनाज खुले में रखना पड़ेगा। मैं श्री सूर्यनारायण से पूर्णतया सहमत हूं कि अनाज के लिये गोदाम बनाये जाने चाहिएं और हम ऐसा कर भी रहे हैं। हम गैर-सरकारी उद्यमों को भी गोदाम बनाने के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे हम उन्हें किराये पर ले सकें।

इस समय भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों में कुल मिलाकर 124.20 लाख मीटरी टन अनाज रखा जा सकता है। मुझे आशा है कि हम इस बार भी स्थिति को सम्भाल लेंगे। हां, भारी वर्षा होने से कुछ हानि अवश्य हो सकती है। टडेपल्लिगुडेम में वर्षा से जो हानि हुई वह बहुत कम है क्योंकि अनाज के केवल 12 से 15 बोरे ही खराब हुए हैं।

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है हम उसका पूरा-पूरा लाभ उठायेंगे। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई इतनी अधिक चिन्ता वाली बात नहीं है। जिस समाचार पत्र में एक करोड़ रुपये की हानि का उल्लेख किया था उसने दूसरे ही दिन इस समाचार को गलत बताते हुए यह कहा कि हानि बहुत ही कम थी।

श्री के० सूर्यनारायण : मेरी जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपयों का आनाज खराब हो गया है।

श्री शाहनवाज खां : जैसा मैंने पहले कहा है केवल 4 मीटरी टन अनाज खराब हुआ है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : (निजामाबाद) : श्री शाहनवाज खां प्रायः सही बात ही कहते हैं परन्तु इस बार उन्होंने भारतीय खाद्य निगम को हुई हानि के बारे में बहुत ही कम अनुमान लगाया है।

इस वर्ष 1160 लाख मीटरी टन अनाज पैदा हुआ है। यह लक्ष्य तो सरकार का कई वर्ष पहले का था, और यह एक स्वाभाविक बात है कि इसे रखने की व्यवस्था करने के बारे में भी सोचा ही गया होगा। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या उपाय किये हैं? इस के अतिरिक्त, आन्ध्र प्रदेश में एक नियम लागू है जिसके अन्तर्गत किसान कुछ सीमा से अधिक अनाज घर में नहीं रख सकते हैं। वहां पर लोगों को इस कानून का पता ही नहीं है और एक गांव में ऐसा हो चुका है कि एक मामले में विहित सीमा से अधिक पाया गया अनाज जब्त कर लिया गया है। मेरे विचार में इस नियम में कुछ छूट मिलनी चाहिए जिससे कुछ किसान धान अपने गोदामों में ही रख सकें।

इसके इलावा समुद्रतट पर कई गैर-सरकारी गोदाम हैं जहां पहले तस्करी का सामान रखा जाता था। मैं इस सम्बन्ध में पहले भी कई बार कह चुका हूं कि इन गोदामों का अधिग्रहण कर लिया जाये जिससे इन में अनाज रखा जा सके, परन्तु सरकार ने अभी तक कोई कार्य-वाही नहीं की है।

यह एक विचित्र बात है कि जब भी अनाज अधिक खरीदा जाता है तभी भारतीय खाद्य निगम को कोई लाभ नहीं होता है। अब वह कहते हैं कि बहुत कम हानि हुई है। यदि यह दो, तीन प्रतिशत भी हो, तब भी यह करोड़ों रुपयों की होगी। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं क्या वे सही हैं?

मेरे विचार में कृषि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को, वास्तविक हानि का पता लगाने के लिये वहां शीघ्र भेजना चाहिये। क्योंकि हानि को कभी न कभी तो दिखाना ही पड़ेगा। उसे कैसे छिपाया जा सकता है?

तथापि यह बता दिया जाये कि मेरे राज्य में भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु अनाज रखने के लिए उन के पास गोदाम ही नहीं हैं। क्या उन्हें कुछ समय के लिए अनाज की खरीद बन्द नहीं कर देनी चाहिये जिससे किसान उसे अपने

घरों में ही रख सकें। यदि सरकार किसानों को कुछ पेशगी दे देती है तो किसान अनाज अपने घरों में रख सकते हैं। किसानों के मकानों की तो केवल एक प्रतिशत की कमी है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारतीय खाद्य निगम के पास कितने प्रतिशत गोदाम कम हैं ?

श्री शाहनवाज़ खां : माननीय सदस्य ने कहा है किसानों को निर्धारित सीमा से अधिक अनाज नहीं रखने दिया जाता है। उनको अनाज की मात्रा बताने में क्या कठिनाई है? उन्होंने केवल अनाज की मात्रा की घोषणा ही तो करनी होती है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यदि कोई किसान सांयकाल खेत से धान घर लाये और दूसरे दिन सतर्कता निरीक्षक वहां पर पहुंच जाये और यह कह कर कि उसने स्टाक की घोषणा नहीं की है, सारा अनाज जब्त कर ले, तो उस हालत में किसान क्या करेगा ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे विचार में किसानों को इस तरह परेशान तो नहीं किया जाता होगा। यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट मामला मेरे सामने लायेंगे तो मैं अवश्य राज्य सरकार से इस बारे में पूछताछ करूंगा।

हम वे सभी गोदाम किराये पर ले रहे हैं, जो उपलब्ध हैं और खाली पड़े गोदामों का भी अधिग्रहण कर रहे हैं। हम उनका पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं।

SHRI BIBHUTI MISHRA (Motihari) : The other day, Shri Jagjivan Ram pointed out in Patna that buildings of schools, colleges and other institutions will be acquired for this purpose. May I know the number of such buildings which have so far been acquired ?

श्री नरसिंह नारायण पांडे (गोरखपुर) : श्रीमन्, ऐसा तो सभी राज्यों में हो रहा है।

श्री शाहनवाज़ खां : श्रीमन् हम यथासम्भव शीघ्र गोदाम बना रहे हैं फिर भी इसमें लगभग 6 से 8 मास लग ही जाते हैं। हमने इस तथ्य को ध्यान में रख लिया है कि इस बार उत्पादन काफी अधिक हुआ है और हमें इस प्रयोजन के लिये गोदामों का भी निर्माण करना चाहिये। पिछले 4, 5 वर्ष के अनुभव से तो यही पता लगता है कि हम अनाज खुले में भी रख सकते है परन्तु यह कि उसे तिरपालों से ढक कर रखा जाये। हमने किसानों को आश्वासन दे रखा है कि जितना भी अनाज वे लायेंगे हम उसको खरीद लेंगे। इन परिस्थितियों में हम किसानों को यह कैसे कह सकते हैं कि हम अब अनाज नहीं खरीदना चाहते हैं ?

भारत कनाडा आणविक वार्ता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE.* INDO-CANADIAN NUCLEAR DISCUSSION

विदेश मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : 18 मई 1976 को कनाडा के विदेश मंत्री ने दिल्ली स्थित अपने हाई कमिश्नर के माध्यम से मुझे कनाडा के इस निर्णय की सूचना दी कि भारत के साथ अब और नाभिकीय सहयोग उनके लिए सम्भव नहीं है। इस संदेश में अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि कनाडा की इस नीति को ध्यान में

रखते हुए कि कनाडा सिर्फ उन्हीं देशों के साथ नाभिकीय सहयोग करेगा जो कनाडा द्वारा सप्लाई की हुई सामग्री, उपकरण और परमाणु विस्फोट की टैक्नालाजी का प्रयोग नहीं करेंगे, भारत के साथ और सहयोग सिर्फ इस नीति के ही अनुरूप हो सकता है और चूंकि भारत को कनाडा की यह शर्त मंजूर नहीं इसलिए किसी और आधार पर कोई समझौता मुमकिन नहीं है । कनाडा के विदेश मंत्री ने इसी प्रकार का लेकिन और विस्तृत वक्तव्य कनाडा के हाउस आफ कामंस में भी दिया।

2. जैसा कि सदन को ज्ञात है, नाभिकीय मामलों के विषय में मतभेद दूर करने के लिए भारत कनाडा के बीच पिछले दो वर्षों से बातचीत चल रही थी । यह मतभेद कनाडा द्वारा 18 मई 1974 के बाद भारत के साथ नाभिकीय सहयोग स्थगित कर देने के उनके निर्णय के कारण उत्पन्न हो गया था । इस सिलसिले में बातचीत का अंतिम दौर इस वर्ष मार्च में नई दिल्ली में हुआ था । तीन दिन की विस्तृत बातचीत के बाद नाभिकीय मामलों से संबद्ध मतभेदों के विषय में एक समझौता हो गया था। इस बात पर भी सहमति हुई थी कि जब दोनों सरकारें इस समझौते के प्रारूप को अनुमोदित कर देंगी तब भारत-कनाडियाई नाभिकीय सहयोग पुनः शुरू हो जायेगा और दोनों देशों के बीच संबंध पुनः परम्परागत स्तर पर आ जायेंगे।

3. कनाडा ने नाभिकीय सहयोग समाप्त करने तथा मार्च की बातचीत में उसके अपने प्रतिनिधि द्वारा सहमत और हस्ताक्षरित समझौते को अस्वीकार कर देने का जो निर्णय लिया है, उस पर भारत सरकार को खेद होना स्वाभाविक है । हमें निःसंदेह इस बात से बहुत निराशा हुई है कि दो वर्ष की मेहनत और बातचीत के बाद जबकि एक विस्तृत समझौता हो गया था, कनाडा की सरकार ने इस तरह एक तरफा तरीके से उस नाभिकीय सहयोग को समाप्त करने का कदम उठाया है जोकि 1963 और 1966 के नाभिकीय सहयोग समझौतों का एक अभिन्न अंग है । यह इन समझौतों के कई प्रावधानों को एक तरफा तरीके से भंग करने के बराबर है।

4. मैं यह कहना चाहूंगा कि विगत दो वर्षों में, जबकि औपचारिक बातचीत के तीन दौर, तकनीकी स्तर की वार्ता के दो दौर चले और कई बार मंत्री स्तर पर अनौपचारिक बातचीत हुई, भारत सरकार ने कनाडियाई दृष्टि कोण को स्थान देने की पूर्ण ईमानदारी के साथ कोशिश की । कनाडियाई पक्ष को उच्चतम स्तर पर यह स्थिति भी बताई गई थी कि शांतिपूर्ण नाभिकीय परीक्षण करने में, जिसे करने का भारत को पूर्ण अधिकार है क्योंकि शांतिपूर्ण नाभिकीय परीक्षण एक अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत अवधारण है, हमने कनाडा के साथ हुए किसी भी समझौते के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है और यह एक ऐसा सत्य है जिसे बाद में स्वयं कनाडा की सरकार ने भी स्वीकार किया है । नाभिकीय विकास के विषय में भारत के दृष्टिकोण को कई अवसरों पर दोहराया गया था और कनाडा को अपनी इस इच्छा का आश्वासन दिलाया गया था कि समान्य और पूर्ण निरस्त्रीकरण, जिसमें नाभिकीय निरस्त्रीकरण भी शामिल हैं, के अपने समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम उसके साथ सहयोग करेंगे । इस समूची बातचीत में भारत के प्रति-

निधियों ने सद्भाव से काम लिया और नेकनीयती के साथ बातचीत की जिससे कि ये मत-भेद दूर हो सकें । इसके बदले में हमने कनाडा से सिर्फ इतना ही चाहा था कि मौजूदा सहयोग समझौते के अंतर्गत वह अपने संविदा संबंधी दायित्वों को ही पूरा कर दे । यह बड़े खेद की बात है कि कई महीनों की इस लम्बी अवधि के बाद जबकि यह वार्ता निरंतर ही चलती रही है, कनाडा सरकार ने अब बातचीत के बाद हुए समझौते से और संविदा संबंधी अपने दायित्वों से पीठ दिखाने का निर्णय किया है । मुझे विश्वास है कि सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि यह बात सोचने की कतई कोई गुंजाइश नहीं कि भारत-कनाडियाई नाभिकीय सहयोग को खत्म करने के लिए किसी भी तरह भारत सरकार जिम्मेदार है।

भारत सरकार कनाडा सरकार की घोषणा के विभिन्न निहितार्थों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है और विचार कर लेने के बाद उपयुक्त कदम उठाएगी।

दिल्ली-कृषि उपज विपणन (विनियमन) विधेयक

DELHI AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (REGULATION) BILL

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भाण्डारकरण और प्रसंस्करण के अधिक अच्छे विनियमन तथा कृषि उपज के लिए मंडियों की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय, विक्रय, भाण्डारकरण और प्रसंस्करण के अधिक अच्छे विनियमन तथा कृषि उपज के लिए मंडियों की स्थापना और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was Adopted

श्री शाहनवाज खां : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जीवन बीमा निगम (समझौते में रूप भेद) विधेयक--जारी

LIFE INSURANCE CORPORATION (MODIFICATION OF SETTLEMENT) BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सुब्रह्मण्यम के प्रस्ताव पर आगे चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री प्रिय रंजन दास मुंशी अपना भाषण जारी करें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : जबकि देश में प्राकृतिक संसाधन बहुतायत में नहीं हैं और हमें मुद्रा स्फीति का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में हमें उन ताकतों से लड़ने के लिए, जिनके लिए आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी, कठोर उपायों के

अलावा अन्य कोई चारा नहीं है । वास्तव में मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार और कर्मचारियों के बीच हुए किसी समझौते को जब वही सरकार तोड़ती है, तो उससे देश में कुछ समस्याएं पैदा होती हैं । अतः बोनस कानून में समानता लाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए और यदि अर्ध सरकारी, सरकारी या निजी क्षेत्र के प्रबन्धकों तथा कर्मकारों के बीच दबाव में आकर हुआ कोई समझौता हो और वह कर्मकारों के हित में न हो तो ऐसे समझौतों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि देश भर में पूर्ण समानता कायम हो सके। जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के प्रति मेरे मन में पूरा सम्मान है और आपात काल के दौरान उन्होंने सराहनीय कार्य किया है, परन्तु देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

श्रमिक वर्ग की मजदूरी के प्रश्न पर हुए वाद विवाद को मैं पिछले पांच वर्ष से सुन रहा हूं परन्तु मैं यह नहीं समझ पाया कि मजदूरी या आय के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए क्यों दलील नहीं की जाती और वेतनमानों में समानता क्यों नहीं है। बोनस कानून का 300 रुपये पाने वाले कर्मकारों पर बुरा असर पड़ा है। सफेदपोश कर्मचारी मजदूरी में समानता लाने के लिए किये गये आह्वान का समर्थन नहीं करते। सफेदपोश कर्मचारियों के नेता जो अपने आपको प्रगतिशील होने का दावा करते हैं, इन सफेदपोश कर्मचारियों को जो कस्बों तथा नगरों में संगठित और संकेन्द्रित हैं, संतुष्ट करने के लिए उनके कहे अनुसार चलते रहे हैं। इससे देश में श्रमिक आन्दोलन को भारी धक्का पहुंचा है। मुझ मालूम है कि जीवन बीमा कर्मचारियों को यह बात अच्छी नहीं लगेगी। उनका काम न केवल व्यक्तियों के जीवन का बीमा करना है वरन् सारे राष्ट्र के हित का भी बीमा करना और उसे सुरक्षित करना है। आज यदि महात्मा गांधी या लेनिन जीवित होते तो मुझे विश्वास है कि वे सफेदपोश कर्मचारियों के ऐसे आन्दोलनों का कभी समर्थन नहीं करते क्योंकि वे अपने प्रभाव द्वारा राष्ट्रीय कोष से अधिकतम धन खींच लेना चाहते हैं और इस प्रकार अन्य करोड़ों व्यक्तियों को अपने अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं।

श्रीमती गांधी को आज जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वे सब पूर्ववर्ती नीतियों का संचित परिणाम है। अतः हम सभी को उनमे सहयोग करना चाहिए ।

अच्छा यह होता कि इस विधेयक को लाने से पहले सरकार यूनियन नेताओं को बातचीत करने का एक मौका देती और उनके दृष्टिकोण को समझती । इससे लोकतंत्रीय परम्परा का निर्वाह होता। परन्तु इसके साथ ही सरकार को ऐसे मामलों में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना भी होगा । मेरा अनुभव यह है कि इस देश में सफेदपोश कर्मकारों की ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्त्ता उन करोड़ों युवकों की, जो कि बेरोजगार हैं, मूलभूत समस्याओं को महसूस नहीं करते । रिजर्व बैंक या अन्य बैंक कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में लेनिन के जो उद्धरण दिये गये या शकुन्तो के पद्यांशतों का जो प्रयोग किया गया उस समय उन भूखे नंगे लाखों भूमिहीन मजदूरों को भुला दिया गया। यदि इस प्रकार एक बुरा वातावरण तैयार किया जाता रहा तो सरकार स्थिति को कैसे सुधार सकती है। प्रगतिशील लोकतंत्रीय ताकतों को समझबूझ के साथ सरकारी प्रयत्नों में सहयोग करना चाहिए।

आपात स्थिति के दौरान दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी नेताओं, आर्थिक अपराधियों आदि के विरुद्ध आंसुका के प्रयोग का और बैंकों के राष्ट्रीयकरण का तो स्वागत किया गया परन्तु जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह कहा कि इससे भी बड़े आर्थिक संकट का मुकाबला करने के लिए आप मुझे अपना थोड़ा सा खून दें तो हमने उसे विनाशकारी कदम बताया।

हमने आपातस्थिति के दौरान अपनी विगत त्रुटियों का और भविष्य में क्या कदम उठाये जायें इसका पता लगाने की व्यवस्था की है। मेरे विचार से श्रमिक वर्ग के अधिकांश नेताओं ने जो समझौता किया है उस पर हमें दूरदृष्टि से भी पुनर्विचार करना पड़ेगा। मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि जीवन बीमा कर्मचारी या बैंक कर्मचारी अपने प्राप्त अधिकारों को छोड़ दें वरना मेरा कहना यह है कि उन्हें देश की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और मजदूरी में समानता लायी जानी चाहिए। देश के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और इस देश में जो लोग अधिक लाभ उठाते रहे हैं उन्हें खुश करने के लिए लाखों गरीब लोगों के अधिकारों को छीनकर संगठित क्षेत्र के ट्रेड यूनियन आन्दोलन को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

मुझे आशा है कि इस विधेयक के पास हो जाने के बाद सरकार निजी तथा सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हुए ऐसे समझौतों पर जोकि प्रबन्धकों ने श्रमिकवर्ग के हितों के विरुद्ध किये हैं, पुनर्विचार करेगी।

यदि देश में आय या मजदूरी के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति बनायी गई और वेतन ढांचे में संतुलन कायम किया गया, तो हममें से कुछ लोगों को थोड़ा त्याग अवश्य करना पड़ेगा। प्रतिक्रियावादी ताकतों पर प्रगतिशील ताकतों को विजित करने के लिए हमें यह स्पष्ट करना होगा कि इस देश में श्रमिक वर्ग का वास्तविक आन्दोलन कौनसा है।

जीवन बीमा निगम में न तो किसी माल का निर्माण होता है और न ही लाभ या हानि का प्रश्न है। बोनस मांगना पालिसीधारियों के प्रीमियम में से हिस्सा लेने और दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

अतः में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : जीवन बीमा निगम और उसके कर्मचारियों के बीच परस्पर हुए द्विपक्षीय समझौते को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने यह विधेयक रखा है। मैं इस समझौते की पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। 31 मार्च, 1973 को पहले समझौते के समाप्त होने पर दोनों पक्षों के बीच काफी बातचीत हुई 1 जनवरी, 1974 में श्रम मंत्री श्री रघुनाथ रेड्डी ने तथा तत्कालीन वित्त मंत्री श्री वाई० वी० चव्हाण ने बातचीत में हिस्सा लिया। उनके सहयोग से दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। अतः संसद का इससे कोई

सम्बन्ध नहीं था । दोनों पक्षों के बीच 6 करोड़ रुपए की राशि का परिव्यय अन्तिम रूप से तय हुआ, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :

1. मूल वेतन और महंगाई भत्ता	रु०	2,68,77,365
2. लाभांश में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत वृद्धि .	रु०	1,81,68,600
3. मकान किराया भत्ता . . .	रु०	68,00,000
4. नगर प्रतिकर भत्ता . .	रु०	31,41,720
5. भविष्य निधि अंशदान . . .	रु०	31,87,418
6. उपदान	रु०	10,00,000
7. फिटमैंट . . .	रु०	8,54,507
	रु०	6,00,29,610

जीवन बीमा निगम अधिनियम के अनुसार समझोते को लागू करने से पहले सरकार की लिखित में औपचारिक अनुमति लेना निगम के लिए अनिवार्य है । इस प्रकार सरकार भी इस समझौते में पक्षकार बन गई ।

परन्तु अब सरकार इस समझौते को रद्द करना चाहती है। जब सरकार की सहमति से यह समझौता हुआ तो इसे रद्द करना सरकार के लिए एक बेशर्मी की बात है । यह विधेयक औद्योगिक संबंधों की भावना पर कुठाराघात है । द्विपक्षीय समझौतों में श्रमिकों का विश्वास उठ जायेगा । उनकी पवित्रता समाप्त हो जायेगी । इसके द्वारा सरकार औद्योगिक क्षेत्र में भी मूल सिद्धांतों को नष्ट कर रही है । इस सभा के समक्ष आने से पहले सरकार के लिए यह आवश्यक था कि वह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करती और समझौते को समाप्त करने के अपने प्रयोजन के बारे में उनका विश्वास प्राप्त करती । अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि वित्त मंत्री से भेंट करना चाहते थे परन्तु वित्त मंत्री ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया ·····।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं अस्वस्थ होने के कारण उनसे नहीं मिल सका, अन्यथा मैं अवश्य मिलता ।

श्री पी० एम० मेहता : परन्तु राज्य मंत्री तो उनसे मिल सकते थे । उन्हें विश्वास में लेना सरकार का नैतिक और कानूनी दायित्व था । आप ऐसा इस कारण से नहीं करना चाहते कि देश में विधिमान्य शासन न होकर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम और भारत रक्षा नियमों द्वारा शासन हो रहा है ।

आज जीवन बीमा निगम की स्थिति बहुत अच्छी है । निगम ने 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में 5,000 करोड़ रुपयों का व्यवसाय पूरा किया, जो एक रिकार्ड है । इसके अतिरिक्त, संसद को प्रस्तुत किये गये 1973–75 के मूल्यांकन परिणामों के अनुसार विनियोजन

पर आय में से व्यय निकालने के बाद 181 करोड़ रुपए शेष रहे हैं जिसमें से 172 करोड़ रुपए पालिसी होल्डरों को बांट दिये गये हैं और 9 करोड़ रुपए सरकार को उसके हिस्से के रूप में दिये ये हैं । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को आमंत्रित करें और इस विधेयक को लागू करने से पूर्व इस समझौते के रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप होने वाले नुक्सान की राशि के पुनः नियतन के बारे में बातचीत करें । मुझे आशा है कि वे ऐसा करेंगे ।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : अध्यक्ष महोदय, विधेयक के लिए नियत किया गया समय लगभग 2-1/2 बजे समाप्त हो जायेगा । चूंकि अनेक सदस्य अभी इस पर बोलना चाहते हैं, इसके लिए समय बढ़ा दिया जाये और मंत्री महोदय को 4 बजे उत्तर देने के लिए कहा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा अनुमति देती है, तो समय दो घंटे बढ़ा दिया जाये ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां :

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को 4 बजे उत्तर देने के लिए कहा जायेगा ।

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : विरोधी पक्ष के विभिन्न माननीय सदस्यों के भाषण सुनकर मुझे दुख हुआ है । उन्होंने सरकार की मंशा पर आपत्ति करके जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के पक्ष को कमजोर किया है । स्वयं सरकार और मंत्री महोदय न केवल उच्च श्रेणी के कर्मचारियों बल्कि छोटे से छोटे साधारण कर्मचारी के हितों के बारे में भी पूरी तरह चिन्तित है ।

[श्री पी० पार्थसारथी पीठासीन हुए
SHRI PARTHASARTHY *in the Chair*]

इस आपात काल में हम देश में आर्थिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं । विभिन्न कार्मिक संघों ने मांग की है कि एक राष्ट्रीय वेतन ढांचा और धन का समान वितरण होना चाहिए । यह विधेयक इस दिशा में एक कदम है । वित्तीय ढांचे में व्यवस्था और अनुशासन लाने के प्रयास के परिणामस्वरूप कुछ लोगों की हानि हो सकती है जबकि अन्य लोगों को लाभ पहुंचेगा । सबको लाभ हो और किसी को हानि न हो, यह संभव नहीं है । मतभेद हो सकता है परन्तु उसे द्विपक्षीय बातचीत द्वारा दूर किया जा सकता है । परिवर्तन प्रकृति का नियम है । विरोधी पक्ष को सरकार की मंशा पर संदेह करने के स्थान पर सरकार के दृष्टिकोण को समझना चाहिये था और अपनी बात सरकार को समझाना चाहिए उन्हें सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौता करने का प्रयास करना चाहिये था । मैं स्वीकार करता हूं कि यदि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जाती, तो अच्छा रहता । मैं समझता हूं कि उन्हें राष्ट्र भावना और देशप्रेम है और देश में वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे इससे सहमत हो जाते । अतः मैं सोचता

हूं कि इस दिशा में प्रयास किया जाना चाहिये था और एक नया समझौता हो सकता था। परन्तु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों या विशिष्ट आपातिक स्थिति के कारण यह तरीका नहीं अपनाया जा सका ।

आजकल हम प्रबन्ध में कर्मचारियों की साझेदारी की दिशा में सोचते हैं जिसका अर्थ है कि प्रबन्ध में कर्मचारी भी इतने उत्तरदायित्वपूर्ण रूप में काम करें जितना कि एक उच्चतम स्तर का अधिकारी करता है । हमें उत्तरदायित्व उनपर डालना चाहिये था । यदि हम सभी तथ्य उनके सामने रखते और पूर्ण स्थिति उन्हें समझाते तो उनकी प्रतिक्रिया उत्तरदायित्व-पूर्ण और अच्छी ही होती । कार्मिक संघों में ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्थिति से अनुचित लाभ उठाते हैं । लेकिन सभी कार्मिक संघ ऐसे नहीं हैं । यह एक ऐसा अवसर था कि कर्मचारियों की मनोभावना को बदला जा सकता था सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिये थी। कुछ तत्व गत अनेक वर्षों से उनमें स्वार्थ की वर्गगत भावना उत्पन्न करने का प्रयास करते रहे हैं । कर्मचारी इस भावना से सोचते हैं और चाहते हैं कि उनकी मांगें पूरी होनी चाहियें । वे अपना ही भला चाहते हैं । हमें उनमें राष्ट्र-निर्माण की मनोभावना जागृत करनी है । उन्हें बातचीत के लिए आमंत्रित न करके सरकार ने इस दिशा में पहल करने का अवसर खो दिया है । हमें कर्मचारियों में से सर्वोत्तम और उत्तरदायित्व को समझने वाले लोगों को आमंत्रित करके द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा ऐसे मामले तय करने चाहियें । संसदीय हस्त-क्षेप यदा-कदा ही होना चाहिए । लोकतंत्र की भावना है परस्पर सहमति । हमें इस दिशा में कार्य करना चाहिये । यदि यह तरीका अपनाया जाता तो एक बहुत अच्छा वातावरण बन जाता ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपूजा) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं । विधेयक जब प्रस्तुत किया गया तो मैंने उसका विरोध किया था और इसे श्रमिक विरोधी माना था । पर अब पुनर्विचार करने पर मैं महसूस करता हूं कि सरकार वही कर रही है जो उसे करना चाहिये था । इस संबंध में दो मुख्य प्रश्न उठाये गये हैं । पहला यह कि क्या द्विपक्षीय सम-झौते को सांविधिक तौर पर रद्द किया जा सकता है । बोनस संशोधन अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत ऐसा करना संभव है । इस अकेले उपबन्ध से समूचे देश में हजारों समझौते रद्द किये गये हैं और बोनस अधिनियम में जो सूत्र तैयार किया गया है वह लागू है । यदि औद्योगिक श्रमिकों के बारे में जिनकी संख्या करोड़ों में है, यह किया जा सकता है तो फिर जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के संबंध में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता फिर औद्योगिक विवाद अधिनियम में यह उपबन्ध है कि यदि सरकार या संसद यह महसूस करे कि समझौता कर्मचारियों के हित में नहीं है तो उसे रद्द किया जा सकता है । यदि न्यायालयों के निर्णयों के बारे में यह संशोधन स्वीकार किया जा सकता है तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं कि द्विपक्षीय समझौते इसके अन्तर्गत न आयें ।

यह प्रश्न उठाया गया है कि सरकार यूनियनों के नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत क्यों नहीं करती । पर यदि सरकार ऐसा करती तो कार्मिक संघों के नेताओं पर काफी बोझ पड़ जाता । अच्छा हुआ कि सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की और उनपर बोझ नहीं डाला ..... (**व्यवधान**) ।

श्री एस० एम० बनर्जी : तेल और प्राकृतिक गेस आयोग के मामले में क्या हुआ ? उसके लिए आपका क्या तर्क है । बातचीत हो जाने के बाद अध्यादेश जारी किया गया।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे इस प्रकरण का ज्ञान नहीं है । जीवन बीमा निगम बोनस अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आता । पर फिर भी सरकार उन्हें कुछ अनुग्रहपूर्ण राशि दे रही है । अन्यथा इस निगम के कर्मचारी बोनस पाने के हकदार नहीं है । कोई भी ईमानदार कर्मचारी इसे स्वीकार करने में नहीं हिचकिचायेगा । अब जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के सामने यह विकल्प है कि या तो वे समझौते पर अड़े रहें और 5 प्रतिशत की दर से बोनस लें या फिर इस अनुग्रहपूर्वक अनुदान को स्वीकार करें और एकाधिकार उद्योग के कर्मचारियों के समान अपने को समझें । यह उनके हित में है और इससे उनको फायदा होगा । (**व्यवधान**)

SHRI CHANDULAL CHANDRAKAR (Durg) : Government have taken a decision to bring about uniformity in the principle of payment of bonus. There is nothing wrong in it. But it would have been better if the union representatives had been consulted before annulling the agreement which the L.I.C. employees had concluded with the management. This could have been done even after the Bill had been introduced and a voice of dissent had been raised here. But this has not been done. The Government might get the Bill passed today but they must find some way, whereby the L.I.C. employees do not form an impression that Government are doing something unilaterally. At the same time the employees of other departments may not feel that Government are not taking them into confindence. Some way not must be found to settle the bonus issue once for all. In cases of factories, the bonus should be linked with the production. In case of bank employees, etc. it should be considered as to whether payment of *ex-gratia* should be made on merits or other-wise. There should be some scope for negotiations between the employees and management.

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : : सभापति महोदय, जिस प्रकार सरकार ने इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया है मुझे उस पर आपत्ति है। मैं वित्त मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे और मेरे भाषण के बारे में कुछ नम्र शब्द कहे। सदन में दोनों ओर के वक्ताओं ने बार बार इस सच्चाई का उल्लेख किया है कि सरकार किसी निर्णय लेने से पहले जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से बात क्यों नहीं करती ? क्योंकि यह बात दानों में एक समझौते के रूप में है। क्योंकि यह समझौता कोई एक दिन के परिश्रम से किया गया था बल्कि लम्बी बातचीत के बाद इस समझौते पर पहुंचा जा सका था। जब से जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई तब से ही बोनस दिया जाता रहा है। अतः मुख्य बात यह है कि यह प्रथा दशकों से चल रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बोनस को 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत करने में सरकार का हाथ है। अब सरकार इस समझौते को समाप्त करना चाहती है । इस विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के विवरण में यह कहा गया है। यह बात सही है आप सरकार हैं परन्तु सरकार मनमानी नहीं कर सकती। आप ही कहते हैं कि आप लोग कुछ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध हैं। क्या हम 16 वीं सदी में रह रहे हैं। 16 वीं सदी में होब्स कहता था कि सरकार और जनता के बीच हुआ समझौता जनता के लिये तो हमेशा समझौता है वह उसे तोड़ नहीं सकती किन्तु सरकार इस मामले में स्वतन्त्र है।

क्या हम ऐसे समझौते कर रहे हैं ? अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई लोकतान्त्रिक आदर्श है तो सरकार को जीवन बीमा निगम कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए। किन्तु सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है क्योंकि सरकार को पता है कि आपात स्थिति लागू होने के कारण जीवन बीमा निगम के कर्मचारी विरोध नहीं कर पायेंगे। आंसुका और अन्य उपबन्धों के कारण ही कर्मचारी चुप्पी साधे हैं किन्तु अन्दर से वे चुप नहीं है वे पूरी तरह असन्तुष्ट हैं।

अतः सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की अनुचित बात न हो जो कि कर्मचारियों के प्रतिकूल हो। क्या सरकार 31 मार्च, 1977 तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी जब कि किसी भी दशा में यह समझौता समाप्त होना ही है। अब केवल एक वर्ष से भी कम समय रह गया है और सरकार समझौते की अवधि पूरी होने तक इन्तजार कर सकती थी। सरकार को चाहिये था कि वह तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करती।

यह समझौता एक मुश्त समझौते के रूप में है। भारत सरकार ने यह स्वीकार किया था कि प्रबन्ध तथा कर्मचारियों के आपस में स्वीकृत तरीके से जीवन बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों में 6 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया जाना है अब सरकार ने बोनस की दर घटा कर 10 प्रतिशत कर दी है। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो वह इस 6 करोड़ रुपये की राशि को दूसरे ही ढंग से बांटते। किन्तु इस 6 करोड़ रुपये की राशि में से अधिकतर राशि बोनस के लिये रखी है क्योंकि अधिक जोर बोनस पर है। अतः मंत्री जी को आश्वासन देना चाहिये कि अब कर्मचारियों से बातचीत करेंगे और 6 करोड़ रुपये की राशि अन्य रूप में वितरित की जायेगी। यदि आवश्यक हो तो जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के समान रखने के लिये बोनस की दर 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत या उससे कम भी कर सकते हैं।

यह जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का ही प्रश्न नहीं हैं अपितु यह नैतिकता का भी प्रश्न है कि क्या सरकार किसी समझौते का पूरा पालन करेगी या एक पक्षीय ढंग से उसे बदल देगी।

श्री पी० आर० शिनाय (उड़ीपी) : यद्यपि मैं राष्ट्रीय मजूरी प्रणाली की स्थापना के लिये उठाये गये किसी भी कदम का स्वागत करता हूं किन्तु विधेयक में इसे जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया, वह सही नहीं है और न ही उचित है। मैं जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को एक समुचित और वैध समझौते में रूप भेद करके उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का विरोध करता हूं।

यह समझौता तो वर्ष भर से भी कम की अवधि में स्वंय ही समाप्त होने वाला था। इस सभा को तो इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं थी। में एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं और जिसमें ऐसा कोई शहर अथवा कसबा नहीं है जिसकी आबादी 30 लाख से अधिक हो। फिर भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 500 से 600 जीवन बीमा निगम कर्मचारी हैं। समाज में उनकी भूमिका की प्रशंसा हुई है।

उनके वेतनमानों से उनकी कार्यकुशलता तथा ईमानदारी बढ़ी है। इस प्रकार समझौते में परिवर्तन करने से उनको कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो कई कर्मचारियों को तो कई महीनों तक वेतन ही नहीं मिलेगा क्योंकि उनका 50 प्रतिशत मंहगाई

भत्ता जमा कर दिया जायेगा और उनके मंहगाई भत्ते से 24 प्रतिशत की कटौती कर दी जायेगी तथा जीवन बीमा निगम को जो उन्होंने ऋण देना है वह भी उनके वेतन से काट लिया जायेगा।

सभापति महोदय : वह अधिक व्यय कर रहे हैं।

श्री पी० आर० शिनाय : उनके पास बरबाद करने के लिये धन नहीं है। एक छोटा सा घर बनाना कोई पाप नहीं है। बच्चों को शिक्षा देना कोई पाप नहीं है। कम भाग्यवान कर्मचारियों के लिये व्यय करना कोई पाप नहीं है। जीवन बीमा निगम कर्मचारी कम भाग्यवान कर्मचारियों पर व्यय करते हैं।

सभापति महोदय : : आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप विधेयक का विरोध करना चाहते हैं?

श्री पी० आर० शिनाय : मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कांग्रेस दल में इस विधेयक का विरोध करने वाले यहीं एक सदस्य हैं। ऐसा बोलने का उनके पास साहस है। आपको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा।

श्री पी० आर० शिनाय : मुझे इसकी चिन्ता नहीं है। ..... **व्यवधान** ....

डा० कैलाश : उन्हें अनुशासनहीनता की शिक्षा मत दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप नहीं जानते कि ब्रिटेन की संसद में क्या हुआ है।

श्री पी० आर० शिनाय : संसद एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न निकाय है और यह कुछ भी कर सकती है। किन्तु सभा के समक्ष प्रश्न यह है कि सरकार क्या क्या कर सकती है। सभा के सामने यह सवाल भी है कि संसद को ऐसे करार में संशोधन क्यों करना चाहिए जिसमें सरकार स्वयं एक पक्ष है। क्या जीवन बीमा निगम की आय अकस्मात इतनी गिर गई है अथवा देश की आर्थिक हालत इतनी गम्भीर हो गई है कि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के बोनस में कटौती करनी पड़ी है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों को 18 प्रतिशत बोनस मिलता है।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से अच्छा वेतन इण्यिन इयर लाइन्स और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को मिलता है। निगम में कर्मचारियों को पदोन्नति के भी अवसर प्राप्त नहीं है अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस करार में संशोधन करना आवश्यक नहीं है। निगम के प्रबन्धक 15 प्रतिशत बोनस देना चाहते हैं और ऐसी कई अन्य बातें है जिनको भी इस सम्बन्ध में दृष्टिगत रखा जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि बकाया राशि किसी अन्य रूप में कर्मचारियों को दी जाये।

SHRI NAWAL KISHORE SINHA (Muzaffarpur) : I support the Bill. This is an extraordinary occasion for the House because during the past few years there has been a competition in the country in deriving greater and greater benefit. Workers' Organisation took it to be a measure of their success in getting their demand acceded to whether it was just or not. This was the reason that some such demands were also accepted which were not reasonable and just.

It is not only the case of the employees of L. I. C. but in many other fileds Government was compelled to accede to some such demands as adversely affected the economy of the country. But at the same time it should not be forgotten that the work done by the employees of L.I.C. is creditable. The business of L.I.C. increased considerably. At the time of entering into this agreement, there were several other demands also under consideration of Government and some organisations got their demands of raising pay structures etc. accepted which cannot be revised now. Therefore the revision of the bonus agreement with L.I.C. employees would naturally create some unhappiness among them.

The agreement was for a period of four years. They have drawn it for the past two years. Now it is for the Government to consider whether the employees can be given some other benefits in lieu thereof. It would be good if Government consider making *ex-gratia* payment because it is natural that in anticipation of some payment one makes prior adjustments in one's budget. I would, therefore, request the Government to consider *ex-gratia* payment of the bonus so that there may be no resentment among the employees.

PROF. S. L. SAKSENA (Maharajganj) : It is immoral to violate any solemn agreement which this Bill has sought to do and so I am opposed to it lock, stock and barrel. There is no convincing justification to set aside the agreement. The L. I. C. employees have earned the maximum business and profit because they knew that with larger business of L. I. C. They would get lager bonus. But now their bonus is being taken away by this legislation and it is certainly immoral.

Many progressive laws have been enacted but by withdrawing this bonus the whole record is going to be tarnished.

A plea of bringing about uniformity in wage structure was put forth. It is certainly desirable to evolve a uniform wage policy for the whole country. But it has not been done so far. Unless uniformity in wages is brought about there would be no peace in labour world. This measure which the Government have brought here is quite arbitrary and so I totally oppose it and hope that if would be withdrawn.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे तक स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बज कर 3 मिनिट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए : (MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)]

जीवन बीमा निगम (समझौते में रूप भेद) विधेयक —जारी

[LIFE INSURANCE CORPORATION (MODIFICATION OF SETTLEMENT) BILL]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अजीपुर) : : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे, बोलने का अवसर दिया है।

हमने इस विधेयक का पुनःस्थापित किये जाने के समय ही विरोध किया था और इसका विशेष अर्थ है। हमारा विरोध सरकार के इस तरीके के विरुद्ध है जिससे सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। यह पहला ही अवसर नहीं है। बोनस अध्यादेश के समय भी जो बाद में अधिनियम बना हमने सरकार को कहा था कि यह उचित तरीका नहीं है। इसका सबसे अच्छा तरीका द्विपक्षीय चर्चा, बातचीत आदि करना है जिससे कोई समझौता हो जाए। इसकी कोई भी पूर्व सूचना नहीं थी और सहसा यह किया गया है।

जो तरीका अपनाया जा रहा है वह एक खतरनाक पूर्वोदाहरण बन जायेगा, क्योंकि श्रमिक मामलों को निपटाने के लिए जो द्विपक्षीय समझौता किया गया था, उसे रद्द किया जा रहा है। इसीलिए हमने इस विधेयक का पुनःस्थापन के समय ही विरोध किया था और में इसका आज भी विरोध करता हूं। हमारे मित्र श्री दास मुंशी ने वेतन नीति, आय नीति और इस देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में अनेक बातें की हैं। आज उन सब पर यहां विचार करना आवश्यक नहीं है। परन्तु मैं नहीं जानता कि यह विचार कि मजदूर संघ केवल सफेदपोश कर्मचारियों से सम्बन्ध है, उनके दिमाग में यह कहां से आया। उन्होंने समूचे मामले को गलत आधार पर तैयार किया है। निस्सन्देह मेरा विचार तो यह है कि जो कर्मचारी मशीनों पर काम करके देश के लिए माल और वस्तुओं के रूप में संपत्ति का उत्पादन करते हैं, उन्हें लिपिकीय कमचारियों की अपेक्षा अधिक वेतन मिलना चाहिए जैसा कि विकसित देशो में है। परन्तु समूचे आर्थिक ढांचे में एक मूलभूत और आमूल परिवर्तन किए बिना क्या इस समूचे ढांचे को बदला जा सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं।

हाल ही में विभिन्न गांवों में पदयात्रायें की गयी हैं। परन्तु हम देखते हैं कि किसी भी खेतिहर मजदूर को निर्धारित न्यूनतम मजूरी नहीं दी जा रही है। सरकार इसके बारे में कुछ क्यों नहीं करती है? खेतिहर मजदूर मफेदपोश मजदूर नहीं है। वे नंगे और भूखे हैं। परन्तु आप उन्हें निर्धारित दर पर मजूरी इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आपके दल के लोग आपको ऐसा करने से रोकते हैं।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए समझौता 24 जनवरी, 1974 को हुआ था, जोकि प्रबन्धकों और कर्मचारी संघों के बीच लम्बी विपक्षीय वार्ता के परिणामस्वरूप हुआ था। बीच में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हुई थी और यह श्री चव्हाण द्वारा समाप्त किया गया था। उस समय भारतीय जीवन बीमा निगम की वित्तीय स्थिति तथा उसके भुगतान करने की क्षमता पर अच्छी तरह विचार किया गया था। मेरी आपत्ति तो इसको लेकर हो रही है कि सरकार यह किस ढंग से कर रही है। मैं तो यह कहूंगा कि इस संसद के दर्जे की उपेक्षा की जा रही है। क्या संसद का यही कार्य है कि जो समझौता नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच में केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों के सहयोग से हुआ है, उसमें यह बाधक बने? अगर इस समझौते में संशोधन करना है तो कोई और तरीका अपनायें और कर्मचारियों के संगठनों को बताया जाये कि आपात स्थिति तथा नए विधान को ध्यान में रखकर 10 प्रतिशत से अधिक बोनस या अनुग्रह भुगतान नहीं दिया जा सकता। और इस पर चर्चा की जाती। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं की जा रही है। इसीलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं।

समूचे श्रमिक सम्बन्धी मामलों में यह एक खतरनाक पूर्वोदाहरण हो जाएगा। संक्षेप में मैं यही कहूंगा । श्री सुब्रह्मण्यम ने शुरू में ही यह कहा था कि हमने पहले भी उनको समझौतों में संशोधन किया है और यह एक पूर्वोदाहरण नहीं है। मैं तो संशोधन करने के तरीके की बात कर रहा हूं। कर्मचारियों में भीषण असंतोष है, क्योंकि इस प्रकार की चीजें की जा रही हैं। यदि उनको बुलाकर उनके साथ विचार विमर्श किया जाता तो स्थिति भिन्न होती। मुझे विश्वास है कि वे इससे सहमत भी हो जाते। और आज की स्थिति में कोई भी इसे अस्वीकार नहीं करता।

अन्त में मेरा सुझाव यही है कि आप विधेयक को पास करा लीजिए। इसके पास होने में कोई कठिनाई नहीं है। इस अधिनियम का प्रभाव यही होगा कि 1974 के समझौते में जो 15 प्रतिशत बोनस का उपबन्ध है, वह रद्द हो जायेगा । अब प्रश्न यह है कि इसके स्थान पर क्या चीज आएगी ? मैं नहीं समझता कि सरकार समूचे समझौते को रद्द कर देगी और उन्हें कुछ भी नहीं देगी। यदि आप उन्हें बोनस नही देना चाहते तो आप उनके साथ बैठकर अन्य सुविधाओं के बारे में विचार-विमर्श करें। कोई समझौता करें। मेरा अनुरोध यही है मैं समझता हूं कि ऐसा अवश्य किया जायेगा।

जहां तक विधेयक की बात है, मैं इसके विरुद्ध मतदान करूंगा।

श्री वाइ० एस० महाजन (बुलडाना) : जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 में 245 बीमा कम्पनियों का समामेलन और राष्ट्रीयकरण करके की गई थी। तत्कालीन वित्त मंत्री ने इसी सभा में यह वचन दिया था कि राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप पालिसी-धारियों को कई लाभ होंगे जिनमें से एक लाभ तो प्रीमियम की घटी हुई दर के रूप में और दूसरा लाभ अधिक बोनस के रूप में होगा। परन्तु 19 वर्ष बीत जाने के बाद आज भी पालिसीधारियों को ये लाभ नहीं मिले हैं जबकि इस निगम के व्यापार में दस गुनी वृद्धि हुई है, और औसत आयु बढ़ने के कारण जोखिम भी काफी घटा है।

जीवन बीमा निगम का कुछ मदों में खर्चा निरंतर बढ़ता जा रहा है। बीमा अधिनियम में नवीकरण व्यापार पर खर्चे की सीमा 50 प्रतिशत निहित की गई है परन्तु इससे अधिक व्यय हो जाने के कारण निगम को सरकार के पास इस शर्त से छूट पाने के लिए कई बार पहुंच करनी पड़ी है। इसी प्रकार अधिकारियों के वेतन पर खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। जीवन बीमा निगम में वेतन बिल पर खर्चा 900 प्रतिशत बढ़ गया है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 1957 में 27,000 थी जो बढ़कर 1975 में 54,400 तक पहुंच गई। इन कर्मचारियों को अपने वेतन में 124 प्रतिशत वृद्धि का लाभ मिला है । तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जो बोनस दिया जाता है वह आय खाते में से निकाला जाता है और यह निगम की लागत का एक भाग है। इसका सम्बन्ध निगम की उत्पादकता या लाभ से न होने के कारण यह बोनस संशोधन कानून के अधीन नहीं आता। यही कारण है कि सरकार को अब यह विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा है।

यह विधेयक प्रस्तुत करने का दूसरा कारण यह है कि जून, 1974 में हुए समझौते के समय हम मुद्रास्फीति की स्थिति से गुजर रहे थे और कीमतों में प्रतिवर्ष 36 प्रतिशत की दर

से बढौतरी हो रही थी । परन्तु अब पिछले दो वर्षों में मूल्य स्तर 8–9 प्रतिशत घटा है। इसका अर्थ यह है कि अब इस समझौते का कोई आधार नहीं है और इस समय यह समझौता वैध नहीं रह गया है।

मुद्रास्फीति के दबाब तो अब भी हैं अतः हमें इस बात की पूरी सावधानी रखनी है कि इन दबावों को समाप्त किया जाये। इस कारण से भी सरकार को यह विधेयक प्रस्तुत करना पड़ा है कि जिससे मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाला यह कारण भी दूर हो सके।

साधारण बीमा, बैंक तथा अन्य सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में बहुत से समझौतों को रद्द कर दिया गया है। यदि ऐसा है तो जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग में क्यों शामिल रखा जाये । सरकार पर यह उत्तरदायित्व है कि वह समाज के सभी वर्गों को न्याय उपलब्ध कराये। अतः जब भी कोई नीति बनाई जाये तो सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह नीति किसी भेदभाव के बिना सभी वर्गों पर लागू हो।

जीवन बीमा निगम का उद्देश्य पालिसी-धारियों का बीमा करना अर्थात उनकी सुरक्षा उपलब्ध कराना है। यह कार्य उसे पूरी कुशलता के साथ करना चाहिए । पालिसी धारियों के दावों को सुलझाने में कुशलता के अभाव तथा विलम्ब होने की बहुत सी शिकायतें निगम के मुख्यालय में आयी हैं। इससे स्पष्ट है कि निगम द्वारा सेवा में कमी आती जा रही है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

DR. KAILASH (Bombay-South) : We must consider the circumstances under which the agreement in question was concluded. This agreement was made under threat of agitations and strikes by the organised labour. If the Government accede to their request and continue to pay bonusat the rate of 15 per cent, its repercussions on other Corporations and Public Sector Undertakings can be well-imagined. Government have to take a wider and national perspective and from that point of view it is necessary to bring forward such a Bill.

The sanctity of the agreement has been evoked by many Members. But can this sanctity be placed at a higher level than the interests of the nation ? It is regrettable that none of the trade union leaders from the opposition has felt the necessity to underline this truth. On the other hand, they have pleaded against this Bill, keeping the sectoral interest in the forefront. It is hoped that opposition parties who supported the cause of labour would realise this fundamental truth and extend their support to this Bill.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सच यह है कि जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच बहुत सी बातों के लिए एक संवोष्टित समझौता हुआ था परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इस समझौते में से सरकार ने केवल बोनस के प्रश्न को छांट लिया और संसद के समक्ष यह कहा कि वह इसे क्रियान्वित नहीं कर सकती । समझौते के समय वह निश्चित नहीं किया गया था कि यह रकम लाभ का हिस्सा होगी।

यदि वित्त मंत्रालय या जीवन बीमा निगम के प्रबन्धक बोनस के प्रश्न पर कर्मचारियों के साथ बैठकर विचार-विमर्श कर लेते तो आकाश नहीं टूट पड़ता। जिस समय यह समझौता हुआ

था उस समय तो इस समझौते को संसद के समक्ष नहीं लाया गया। तरन्तु अब इसे अचानक संसद् के समक्ष रखा जा रहा है। यही कारण है कि इस संशोधन विधेयक का विपक्षी दलों और सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा विरोध किया जा रहा है।

सरकार को कर्मचारियों के साथ हुआ समझौता इस प्रकार नहीं तोड़ना चाहिए। इससे सामूहिक मोलभाव करने की वह प्रणाली जो भारतीय श्रमिक वर्ग अपने अनेक वर्षो के सतत संघर्ष के पश्चात् स्थापित कर सका है, समाप्त हो जायेगी। लेकिन सरकार इस प्रणाली का पूर्णतः अन्त करने के लिए तुली हुई है। यह उस तानाशाही शासन का एक नग्न उदाहरण है जिसे सरकार बनाये रखना चाहती है।

अभी कोई अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। सरकार अभी भी इस प्रश्न पर कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है और किसी अन्य उपाय को ढूंढ निकाल सकती है।

SHRI M. C. DAGA (Pali) : In view of the fact that the country is facing an economic crisis, the employees of L. I. C. should have volunteered to surrender this bonus to the Government, Besides this, there should be some link between the salaries of the Government employees and the economic conditions aprevailing in the country. From this point of view also, this bonus is not justified.

The working of the L. I. C. has also not been very commendable. The administrative expenditure has gone up considerably. The renewal expenses ratio for the year 1974-75 was 18·97 per cent. Hence it is necessary to exercise some kind of control on its expenses. This is being proposed to be done through this Bill. It must be noted that the policy-holders have incurred a huge loss on account of the inefficiency of the L. I. C. Therefore, it is not justified to plead for payment of bonus to the L. I. C. employees at old higher rates.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस विधेयक पर बोलने का कोई इरादा नहीं था। परन्तु सभा के उस शोर से कुछ दोषारोपण किया गया जिससे बाध्य होकर में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं।

यह कहना बिल्कुल गलत है कि हम अपने लिये समर्थन प्राप्त करने के लिये इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं और हम दिल से इसके विरुद्ध नहीं है। हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को समझते हैं। और मुद्रा-स्फीति को बढ़ने से रोकने के लिये किये गये उपायों की सराहना करते हैं। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। क्योंकि यह द्विपक्षीय समझौते के सिद्धान्त पर कुठाराघात है। 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रबन्ध में कर्मचारियों को हिस्सा देने की बात कही गई है। फिर भी आप उन्हें इतना उत्तरदायित्व पूर्ण नहीं समझते कि वे आपकी समस्याओं को समझेंगे। मैं बताना चाहती हूं कि हमारे देश में कार्मिक संघ के लोग समझदार और परिपक्व बुद्धि के हैं और राष्ट्रीय संकट की घड़ी को देखते हुए इस मामले में सूझबूझ से काम लेंगे इस संकट के लिये श्रमजीवी वर्ग जिम्मेदार नहीं है, यह तो पूंजीगत व्यवस्था के दोषों की देन है। प्रश्न स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 28 वर्षों तक संघर्ष के बाद निर्धारित द्विपक्षीय बातचीत के सिद्धान्त को संसद् में अपने दल के बहुमत के सहारे समाप्त करके श्रमजीवी वर्ग के साथ विश्वासघात कर रहे हैं और उनके हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इस देश में आय में असमानता कम करने का यह अर्थ तो नहीं है कि आप निश्चित आय वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाये। असमानता दूर करनी है तो पहले एकाधिकार प्राप्त लोगों को दी गई रियायतें वापस लें।

इसलिए हम कहते हैं कि कृपया इस विधेयक को संसद् के समक्ष न लाइये। अब भी मंत्री महोदय सम्मानपूर्वक यह विधेयक वापस ले सकते हैं। और कर्मचारी संघ के साथ द्विपक्षीय वार्ता के सिद्धान्त का परिपालन करते हुए बातचीत द्वारा समझौते का पुनर्विलोकन कर सकते हैं। श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने हमारी जनता को बेजबान कहा मैं इस तरह की बातें कहना अच्छा नहीं समझती। हमारी जनता समझदार है, वे जानते हैं, कब, कैसे और कहां संघर्ष करना चाहिये। लोग बेजबान नहीं है, बल्कि आज सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही है। एक ओर तो आप 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं आप और दूसरी ओर दबे हुए लोगों को और दबाते जाते हैं। जीवन बीमा निगम के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और औद्योगिक कर्मचारी ही आज बेरोजगारों का आर्थिक भार वहन कर रहे हैं। किसी मंत्री या किसी उच्च-सरकारी अधिकारी के पुत्र का नाम रोजगार कार्यालयों में बेरोजगार व्यक्तियों की सूची में बहुत नीचे पड़ा नही मिलेगा। परन्तु यदि आप इन कर्मचारियों में से किसी के घर जायें तो घर में अविवाहित बहन बैठी है या बेरोजगार भाई बैठा जिसका नाम रोजगार कार्यालय की सूची में वर्षो से आखिर में ही चला आ रहा है। क्या आपने कभी बेरोजगारी बीमा योजना का विचार किया है?

अतः मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच और तनाव पैदा न करें। प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच सहयोग से ही गत वर्षों में जीवन बीमा निगम इतना अधिक कारोबार कर सका। अब आप कर्मचारियों में तनाव, गलतफहमी, निरुत्साह पैदा करना चाहते हैं जबकि उन्होंने करार पर हस्ताक्षर करते समय निश्चय ही कुछ त्याग किया था। अब आप सामूहिक बातचीत के सिद्धांत को ही समाप्त करना चाहते हैं। इस सैद्धांतिक आधार पर हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को छोड़कर बहस मुख्यतः बहुत जानकारी देने वाली रही है। विरोधी पक्ष के एक सम्मानित सदस्य द्वारा विधेयक की प्रति का फाड़ा जाना अशोभनीय था। क्या विधेयक के फाड़ने से आपके तर्क को बल मिलता है? इस सभा के लिए निर्वाचित हम सदस्यों से राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करने की आशा की जाती है। यही कारण है कि जब भी सभा में अनु-शासनहीनता या अभद्र व्यवहार की कोई घटना होती है, तो सदन के बाहर भी उसकी प्रतिछाया देखने को मिलती है। अतः मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि कल परीक्षा कक्ष में विद्यार्थी खड़े होकर प्रश्न पत्र फाड़ फेंके और परीक्षा छोड़कर चलें जाएं। इसी प्रकार कर्मचारी भी कागज-पत्र फाड़ सकते हैं और मशीनों को भी तोड़-फोड़ सकते हैं। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि हम उनके सामने ऐसी ही मिसाल रख रहे हैं। मैंने सोचा था कि यह विगत की बातें हैं और अब स्थिति सुधर गई है। मुझे विशेष रूप से आश्चर्य इस बात से हुआ कि ऐसा एक ऐसे दल के सदस्य द्वारा किया गया, जो 20-सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करता है, जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुशासन लाने पर बल दिया गया है। मैं आशा करता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम सबको आत्म-संयम से काम लेना चाहिए। इस प्रकार के प्रदर्शन से तर्क-शक्ति को बल नहीं मिलता है।

1956 में राष्ट्रीयकरण से पूर्व अनेक बीमा कम्पनियां कार्य कर रही थीं और अच्छी सेवा प्रदान करने तथा कम प्रीमियम लेने आदि के लिए परस्पर स्पर्धा थी। हमने सोचा कि यदि सरकार जीवन बीमा व्यवसाय को अपने हाथ में ले ले तो खर्च में कटौती की जा सकेगी, कार्य अधिक कुशलता से होगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जीवन बीमा निगम एक साधारण व्यापार संगठन नहीं है, जिसके बारे में कहा जा सके कि हमने इतना लाभ कमाया है और इसे हमें दीजिए। यह राष्ट्रीय बचत अभियान है जिसमें हम देश के करोड़ों लोगों को शामिल करना चाहते हैं और साथ ही हमें उनका कुछ हित भी करना चाहते हैं। आज हमारे पालिसी होल्डरों की संख्या लगभग 188 लाख है। 188 लाख पालिसी होल्डरों में से लगभग 57-58 प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पालिसी की राशि 5,000 रुपए या इससे कम है। संसद् के अधिनियम द्वारा पालिसी होल्डरों को यह आश्वासन दिया गया था कि बीमा व्यवसाय इस प्रकार चलाया जाएगा जिसमें कि समाज का हित हो। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 6 में स्पष्ट रूप से समाज के सर्वाधिक लाभ की बात कही गई है न कि कर्मचारियों के सर्वाधिक लाभ की।

अब हमें यह देखना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हुआ, क्या बीमा करने वाले व्यक्तियों को पहले की तुलना में, जब बीमा कम्पनियां गैर-सरकारी क्षेत्र में थीं और उसमें परस्पर स्पर्धा थी, अधिक लाभ पहुचा है। मुझे खेद है कि श्री नायक इस समय उपस्थित नहीं हैं उन्होंने व्यय में वृद्धि के आंकड़े दिए थे परन्तु मैं तुलनात्मक आंकड़े देना चाहूंगा। 1956-57 में 28,000 कर्मचारी थे और व्यय 9 करोड़ रुपए अर्थात् औसतन 3000 रुपए प्रति कर्मचारी था। 1974-75 में कर्मचारियों की संख्या 58,000 और व्यय 90 करोड़ रुपए, अर्थात् औसतन 15,000 रुपए प्रति कर्मचारी हो गया। यह पैसा कौन देता है? इस विशाल व्यय का भार पालिसी होल्डरों को वहन करना पड़ता है। अतः यह सरकार या गैर-सरकारी क्षेत्र और कर्मचारियों के बीच विवाद नहीं है अपितु पालिसीहोल्डरों और कर्मचारियों के बीच है। निगम बेचारी विधवाओं और अनाथों का सहारा तथा जीवित रहने वाले पालिसीहोल्डरों की बुढ़ापे की लाठी है। इन लोगों का हित महत्वपूर्ण है या 58,000 कर्मचारियों का, जिन्हें किसी भी मापदण्ड से देखें, सबसे ऊंचे स्तर का वेतन मिल रहा है? फिर भी यह कहा जाता है कि उनका वेतन पर्याप्त नहीं है और उन्हें अधिक लाभ दिए जाने चाहिएं। हमें देखना है कि क्या इन कुछ हजार व्यक्तियों के हितों को, जो शिक्षित हैं, आन्दोलन करने के लिए पूर्णतः संगठित हैं और सभी सदस्यों के पास समर्थन प्राप्त करने हेतु जाने के लिए समर्थ हैं, अनाथों, विधवाओं और वृद्ध पालिसीहोल्डरों के हितों से ऊपर रखा जाना चाहिए। इस सभा और इस सभा के प्रत्येक सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह इन छोटे पालिसीहोल्डरों के हितों की पूरी तरह रक्षा करें। जीवन बीमा निगम एक एकाधिकारी संगठन है। क्या यही नैतिकता है कि हम पालिसीहोल्डलरों से पैसा इकट्ठा करें और खर्चा बढ़ाते जाएं जिससे पालिसीहोल्डरों को मिलने वाला लाभ कम होता जाए? इस विवाद में छोटे पालिसीहोल्डर दलित वर्ग है या कर्मचारी।

श्री चटर्जी, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो बाद में पूछें। श्री चटर्जी एक वकील रहे हैं और मैं भी एक वकील रहा हूं। प्रत्येक वकील अपने मुवक्किल के लिए बहुत अच्छी

बहस करता है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि फैसला उनके पक्ष में ही हो। कोई भी दावा नहीं करेगा कि विमान चालक, जिन्हें 7000 रुपए प्रति मास वेतन मिलता है, श्रमजीवी वर्ग के सदस्य हैं और देश में उनके हितों की सबसे पहले रक्षा होनी चाहिए। क्या हम इस प्रकार गरीबी दूर कर सकेंगे और निर्धन वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे? सौभाग्य से हमारी जनता अधिक पढ़ी लिखी नहीं है और उन्हें मालूम नहीं है कि हम उनसे पैसा इक्ट्ठा करके किस प्रकार खर्च कर रहे हैं। हमने विधेयक में उन्हें आश्वासन दिया था कि खर्च कम करके वर्ष प्रति वर्ष बोनस में वृद्धि की जाएगी। कारोबार में काफी वृद्धि के बावजूद बोनस की दर काफी समय से 5 रुपए प्रति हजार रही है और हम इसे बढ़ा नहीं पाए हैं। हम प्रीमीयम दरें भी कम नहीं कर पाए हैं क्योंकि 93 करोड़ रुपए 58,000 लोग ले जाते हैं। यह पैसा किसका है ? इस प्रकार के समझौते से किस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? विधवाओं, अनाथों और वृद्ध स्त्री-पुरुषों पर । क्या इस स्थिति में हस्तक्षेप करना और यह कहना हमारा कर्त्तव्य नही है कि यह अनुचित करार है और इसे रद्द किया जाना चाहिए और पालिसीहोल्डरों के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए? इस विधेयक के पक्ष में मत देना प्रत्येक सदस्य का नैतिक धर्म है। संभवतः इससे कारोबार में वृद्धि होगी। अन्यथा इसका अर्थ यह होगा कि प्रबन्धक और कर्मचारी आपस में किसी भी राशि के लिए करार कर सकते हैं और फिर कह दें कि हम प्रगति कर रहे हैं और हम श्रमिकों का समर्थन कर रहे हैं।

विरोधी पक्ष के नेता निर्धन और निर्बल वर्ग के लोगों की हिमायत करने का दावा करते रहे हैं। परन्तु आज जब ऐसा करने का अवसर आया है, वे अधिक शक्तिशाली और सम्पन्न वर्ग का समर्थन कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि विचारधारा नहीं अपितु कोई अन्य चीज बीच में रही है। इसीलिए वे निर्बल वर्गों के विरुद्ध इस करार को रद्द करने का समर्थन नहीं कर रहे हैं।

यह करार किन परिस्थितियों में हुआ था? जीवन बीमा निगम का कार्य ठप्प हो गया था, कर्मचारी मैनेजरों का घेराव कर रहे थे, उनके घरों पर उनकी बीवियों को धमकियां दे रहे थे कि यदि करार नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। करार ऐसी स्थिति में हुआ था। सौभाग्य की बात है कि हम आज महसूस करते हैं कि इससे राष्ट्र का, कर्मचारियों या किसी अन्य का कल्याण नहीं होगा। बेचारे लाखों पालिसीहोल्डरों के साथ न्याय करने हेतु इस विधेयक का समर्थन करने के लिए में अनुरोध करता हूं।

एक असमानता है, जिसे कुछ सदस्यों को भी समझना चाहिए। वे सोचते हैं कि किसी संगठन में एक बार एक वेतन स्तर लागू किर दिया गया तो वह इतना पवित्र हो गया कि उसे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता और यह बढ़ता रहना चाहिए। असमानताएं बढ़ती जा रही हैं। 58,000 व्यक्ति संगठित हो कर अपने हितों की रक्षा करने की बात कह सकते हैं। [कल भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ एक संकल्प पारित करके कह सकता है कि हमारे अनुसार हमारे हित ये हैं और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। राष्ट्रीय हित की ओर कोई नहीं देखता। हमें न्यायोचित दृष्टिकोण अपनाना है। तभी हम अपने

अधिकारों को बढ़ाने के भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। यह गलत नीति होगी कि केवल एक करार के कारण, जिसमें एक सेक्शन अफसर का न्यूनतम वेतन 4,000 स्वीकार किया गया जबकि बोनस अधिनियम में दिए गए फार्मूले के अनुसार अधिकतम वेतन 900 रुपए हो सकता है, इन विशेषाधिकारों की रक्षा करते जाएं।

समान कार्य के लिए समान वेतन का विश्लेषण करने से पता लगेगा कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जीवन बीमा निगम, बैंकों और स्थानीय निकायों में वर्ग 4 के कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न वेतन मिलता है। हालांकि वे एक जैसा कार्य करते हैं। इसी प्रकार वर्ग 3 के कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न वेतन मिलता है। ऐसा क्यों है? जब वे एक जैसा कार्य करते हैं, तो उन्हें समान वेतन ही मिलना चाहिए। अतः यदि हम कोई राष्ट्रीय नीति विशेषकर मजदूरी नीति अपनाना चाहते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि एक ही प्रकार का कार्य करने वाले कर्मचारियों विशेषकर वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों के लिए, जिनके बारे में कार्य मूल्यांकन बड़ी आसानी से किया जा सकता है, समान वेतनमान निश्चित करने होंगे। यह तो ठीक है कि जिन को हम पहले ही अधिक वेतन दे रहे हैं उन्हें अब हम कम वेतन नहीं दे सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि आगामी वर्ष जब भर्ती की जाए तब ऐसे कर्मचारियों का वेतनमान समान ही निश्चित कर दिया जाए। हां, यह अलग बात है कि नगर भत्ता, पर्वतीय स्थान भत्ता, जोखिम कार्य भत्ता आदि में कुछ अन्तर अवश्य हो सकता है। परन्तु जहां तक वेतनमान का संबंध है वह प्रायः समान ही होना चाहिए।

मैं तो चाहता हूं कि बातचीत करके कोई हल निकाला जाए। परन्तु कठिनाई यह है कि यहां पर पांच कार्मिक संघ हैं जो किसी न किसी राजनैतिक दल के प्रभाव में हैं। विभिन्न संगठनों में बहु-कार्मिक संघ होने से उनमें होड़ लगी रहती है कि कौन कर्मचारियों को अधिक से अधिक रियायतें दिलाता है। यही कारण है कि कोई कारगर ढंग से बातचीत नहीं हो पा रही है।

यह एक ऐसा विधेयक है जिस के अन्तर्गत बीमा पत्र धारियों के साथ न्याय करने की बात को स्वीकार किया गया है। उनके अधिकारों को माना गया है। जिन लोगों को पहले ही सबसे अधिक मिल रहा है उनके मामले में किन्हीं और मांगों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। जो सदस्य कमजोर वर्गों का पक्ष लेते हैं उन्हें विचार करना चाहिए कि क्या उनकी अब भी वही राय है जो वे यहां व्यक्त कर चुके हैं या वे ऐसा सोचने लगे हैं कि विधेयक में कुछ सार है। यदि वे समझते हैं कि इस में कुछ सार है, परन्तु इसके बावजूद वे इस विधेयक के पक्ष में मत न देना चाहते हों, तो उनके लिए यह कहीं अधिक अच्छा रहेगा कि वे इस विधेयक के विपक्ष में मत देने की बजाय मतदान ही न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री बनर्जी का संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 19 **विपक्ष में : 111**

Ayes : 19] Noes : 111

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री दीनेन भट्टाचार्य का संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 15 **विपक्ष में 111**

Ayes : 15] Noes. : 111

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय जीवन बीमा निगम और उसके कर्मकारों के बीच हुए समझौते में रूप भेद करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 (परिभाषाएं)

संशोधन किया गया

पंक्ति 1 से 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए,—

[6](c) "Settlements" means—

(i) The settlement which was arrived at between the corporation and their workmen on the 24th day of January, 1974 under section 18, read with clause (P) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947; and

(ii) the settlement which was arrived at between the Corporation and their workmen on the 6th day of February, 1974 under section 18, read with clause (P) of section 2 of the said Act and in respect of the terms of which there was no approval as provided for in sub-clause (2) of clause 12 thereof,

(ग) "समझौते" से अभिप्रेत है—

(i) वह समझौता, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (त) के साथ पठित धारा 18 के अधीन निगम और उसके कर्मकारों के बीच 24 जनवरी, 1974 को हुआ था ; और

(ii) वह समझौता, जो उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (त) के साथ पठित है धारा 18 के अधीन निगम और उसके कर्मकारों के बीच 6 फरवरी, 1974 को हुआ था जिसके निबन्धनों के बारे में उसके खण्ड 12 के उप-खण्ड (2) में उपबन्धित रूप में अनुमोदन नहीं था,')—4 14 .

श्री सी० सुब्रह्मण्यम

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में

जोड़ दिया गया

Clause 2 as amended was added to the Bill

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 6,—

"the settlement" (समझौते) के स्थान पर "each of the settlements" (प्रत्येक समझौते) प्रतिस्थापित किया जाए।—5

पृष्ठ 2,—

खण्ड 3 के उपान्त शीर्षक में,—

"settlement" (समझौते) के स्थान पर "settlements" (समझौतों) प्रतिस्थापित किया जाए।—6

श्री बी० वी० नायक : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं अपना संशोधन संख्या 14, 15 और 17 प्रस्तुत करता हूं।

इस विधेयक में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि इससे बीमा पत्र धारियों को क्या लाभ होगा ?

इस विधेयक का कुल 37,826 कर्मकारों पर प्रभाव पड़ेगा न कि 53,000 या 54,000 पर जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है।

मैंने अपने संशोधन संख्या 14 के अन्तर्गत यह सुझाव दिया है कि वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को नकद बोनस देने के बारे में समझौते के उपबन्ध 1 अप्रैल, 1976 से

तब प्रभावहीन हो जाएंगे जब सरकार इस निमित्त एक अधिसूचना जारी कर देगी और यह अधिसूचना बोनस की रकम और उसके संदाय के तरीके के बारे में कर्मकारों के प्रतिनिधि संघों के साथ बातचीत करने के पश्चात् जारी की जाएगी।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सबसे पहले श्री सुब्रह्मण्यम के संशोधन संख्या 5 और 6 मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

प्रश्न 2, पंक्ति 6,—

"settlement" (समझौते) के स्थान पर

"each of the settlements" (प्रत्येक समझौते) प्रतिस्थापित किया जाए।

पृष्ठ 2,—

"settlement" (समझौते) के स्थान पर

"settlements" (समझौतों) प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री भट्टाचार्य के संशोधन संख्या 14,15 और 17 मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3, as amended, was added to the Bill

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजा कुलकर्णी, क्या आप अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री राजा कुलकर्णी : (बम्बई उत्तर-पूर्व) जी, नहीं।

खण्ड 1 (संक्षिप्त नाम)

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"Settlement" (समझौते) के स्थान पर
"Settlements" (समझौतों) प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, *as amended, was added to the Bill*

अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting formula was added to the Bill

पूरा नाम

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, विधेयक के पूरे नाम में, "Settlement" (समझौते) के स्थान पर "Settlements" (समझौतों) प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री सी० सुब्रह्मण्यम)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

विधेयक का पूरा नाम, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

The title, as amended, was added to the Bill

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : जहां तक राष्ट्रीय मज़दूरी नीति का संबंध है, हम तो चाहते हैं कि यह निर्धारित कर दी जाए। इस सम्बन्ध में तो हम सरकार को हर प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार हैं। परन्तु इस विधेयक का उद्देश्य तो

एक ऐसे समझौते को समाप्त करना है जो सरकार और संगठित श्रमजीवी लोगों के एक वर्ग के साथ हुआ था और उसमें संसद का कोई हाथ नहीं था, परन्तु अब उस समझौते को समाप्त करने में संसद को बीच में घसीटा जा रहा है। स्पष्ट है कि इससे श्रमजीवी लोगों के हितों को नुकसान होगा। यह तो ठीक है कि वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों को सभी जगह बराबर वेतन मिले, परन्तु विधेयक में प्रस्तुत मामले में तो ये समझौते बहुत पहले किए गए थे, अब उन्हें रद्द करने की कोई तुक नहीं है।

श्री सुब्रह्मण्यम ने अपने भाषण में कुछ आंकड़ों का उल्लेख किया, जिन्हें सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि 1956-57 में जीवन बीमा निगम के वर्ग 3 और 4 के कर्मचारियों को 6 करोड़ रुपए मज़दूरी के रूप में दिए गए जबकि 1974-75 में यह राशि बढ़ कर 15 करोड़ रुपए हो गई। ये आंकड़े तो उन्होंने दे दिए परन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि यह बढ़ोत्तरी किस कारण हुई। क्या इसका कारण मज़दूरी की दर में वृद्धि था जो वेतन आयोगों की सिफारिशों के आधार पर की गई थी या यह बढ़ोत्तरी उनकी संख्या में हुई वृद्धि के कारण हुई है। क्या इस बढ़ोत्तरी के लिए केवल कर्मचारियों का ही हाथ था, जिन्हें अब दण्ड दिया जा रहा है। क्या सरकार का इस में कोई हाथ नहीं था? क्या सरकार अब तक गलती पर गलती करती रही है, जिसके फलस्वरूप अब जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ 1974 में हुए समझौतों को रद्द करके उनके हितों को हानि पहुंचाई जा रही है? सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में तो कर्मचारियों के प्रबन्ध में भाग लेने की बात कही है। लेकिन यह जो कुछ किया जा रहा है, यह उस बात का परिचायक नहीं है। यह तो उन लोगों की उपेक्षा की जा रही है। बोनस में कमी करने की बात 20 सूत्री कार्यक्रम से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। अतः सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए।

सरकार को चाहिए था कि वह ऐसे कर्मचारियों से जो अच्छी स्थिति में है, यह कहती कि आप देश भक्त हैं, इस लिए आपको इन कठिन परिस्थितियों में कुछ कठिनाई उठानी चाहिए। किन्तु हमारी सरकार में ऐसा कहने का नैतिक साहस कहां है। सरकार के पास यह कहने का नैतिक साहस इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार उन बड़े भेड़ियों को तो छूती नहीं, उन बड़े उद्योगपतियों को तो कुछ कहती नहीं, जिन्होंने हमारे उद्योग और अर्थ-व्यवस्था पर अपना अधिकार जमा रखा है। वे लोग विदेशी इजारेदारों से मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में डाल रहे हैं जिसका वर्णन हमारी प्रधान मंत्री अपने विचार व्यक्त करते हुए कई बार कह चुकी है। किन्तु हमारी प्रधान मंत्री के इन विचारों को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है। यदि सरकार देश की आर्थिक व्यवस्था ठीक करना चाहती है तो उसे कर्मचारियों का सहारा लेना चाहिए चाहे वे जीवन बीमा निगम, बैंकों या किन्हीं कारखानों में काम कर रहे हों। यदि सरकार ने बैंकों, जीवन बीमा निगम या अन्य संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की देशभक्ति से भरी हुई भावनाओं से अनुरोध किया होता तो वे अवश्य ही अनुकूल कार्यवाही करते। समझौते में अदल-बदल उनके साथ बैठ कर भी किया जा सकता था संसद में उनकी अनुपस्थिति में ही नहीं। चूंकि यह सिद्धांत का मामला है इसीलिए मेरा दल इस विधान का प्रारंभ से ही विरोध कर रहा है।

हम इसका विरोध सिद्धांतवश ही कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह के संविधान से संविधि पुस्तक को मलीन न किया जाए।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमारे देश में लाखों लोग भुखमरी का शिकार बन रहे हैं। जब केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अपनी मांगें पेश करते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि तुम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को देखो वे तुम्हारे से कम वेतन पा रहे हैं। जब राज्य सरकारों के कर्मचारी अपनी मांग पेश करते हैं तो उनसे कह दिया जाता है कि निगम के लोग तुम्हारे से कम वेतन पा रहे हैं। इस प्रकार की तुलना सर्वविदित है।

माननीय मंत्री तथा सदस्य जो जीवन बीमा निगम के नेताओं से यह आशा करते हैं कि वे वृद्धि की बात भूल जाएं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि देश में इस प्रकार की असमानताओं के लिए कौन उत्तरदायी है। यदि 60, 70 या 80 प्रतिशत जनता भुखमरी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रही है तो उसके लिए वे लोग उत्तरदायी हैं जो 1947 से देश में शासन कर रहे हैं। श्री बिड़ला की प्रतिदिन की आय 2 लाख रुपए हैं जबकि कुछ लोगों को 50 पैसे ही मिल रहे हैं। इस असमानता को किस ने देखना है। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूं कि समझौते पिस्तौल दिखा कर तो नहीं किए गए थे। उस समय वित्त मंत्री चव्हाण और श्रम मंत्री रघुनाथ रेडी भी उपस्थित थे।

कार्मिक संघों का यह विचार है कि सरकार नागा विद्रोहियों और मिजो विद्रोहियों से तो बातचीत करने को तैयार है लेकिन कर्मचारियों के साथ नहीं। हमें देशभक्ति का सबक इस प्रकार से सिखाया जा रहा है।

जहां तक इस समझौते का संबंध है मैं इस बात का विरोध नहीं करता यदि सरकार 15 प्रतिशत की दर कम करके 5 प्रतिशत कर देती है। परन्तु यदि ऐसा किया जा सकता है तो फिर दो पक्षों के बीच हुए समझौते पर किस को विश्वास रहेगा। तब यदि पाकिस्तान शिमला समझौते का उल्लंघन करता है तो उसे क्यों दोष दिया जाए। यह सिद्धांत की बात है। मंत्रियों तथा सरकार के आशीर्वाद से तथा दोनों पक्षों की पूरी सहमति से दोनों के बीच समझौता हुआ था। यदि सरकार 15 प्रतिशत नहीं देना चाहती थी तो उसे चाहिए था कि वह कर्मचारियों से अनुरोध करती और उनसे बातचीत करती। और उनसे कहती कि हम 15 प्रतिशत नहीं देना चाहते क्योंकि दूसरों को यह नहीं मिल रहा है। यह समझौता बात-चीत से हो ही जाता परन्तु खेद की बात यह है कि इस विधेयक के माध्यम से इसे रद्द किया जा रहा है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। एक ओर तो करोड़ों रुपए व्यय करके भव्य इमारतें बनाई जा रही हैं तथा दूसरी ओर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक कमरे वाले मकान ही बनाए जा रहे हैं जिनमें वे बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। आज भी एक कमरे वाले क्वार्टर बनाने में, जैसे अंग्रेजों के समय में बनाए जाते थे, क्या औचित्य है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बोनस को 15 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत करने से क्या मुद्रास्थिति की स्थिति में सुधार हो जाएगा। सरकार का ध्यान बोनस में कटौती करने की ओर तो अवश्य जाता है परन्तु बिडला बन्धुओं की आमदनी की ओर नहीं जाता।

मैं बहुत से मंत्रियों से मिला था और उनसे कहा था कि हम समझौता करने को तैयार हैं किन्तु आप कर्मचारियों को ऐसा आभास न होने दो कि संसद् का प्रयोग कर्मचारियों के अधिकार कम करने के लिए किया जा रहा है। किन्तु मेरी कुछ न सुनी गई और अब यह विधेयक यहां पर लाया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उन कर्मचारियों से ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जो सरकार का आपातकाल में चट्टान बन कर साथ दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप उन्हें 15 प्रतिशत बोनस न दें किन्तु समझौते को रद्द न करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का सिद्धांततः विरोध करता हूं क्योंकि यह एक गलत सिद्धात पूर्वोदहारण बन गया है।

श्री सी० एम० स्टीफन : विपक्ष का जो कोई भी सदस्य इस विधेयक पर बोला है उसने यह कहा है कि यदि हमें बातचीत करने के लिए बुला लिया गया होता तो समझौता हो गया होता। अतः उनके कथन से यह बात साफ हो जाती है कि उनके लिए धन की कोई बात नहीं थी बल्कि बातचीत करने का ज्यादा महत्व था। ऐसी दशा में वे विधेयक के सारांश को स्वीकार कर लेते। मैं भी एक ऐसे संगठन का प्रतिनिधि हूं जो इस समझौते में शामिल था। किन्तु मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि यदि हमें समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया होता और हमसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध किया गया होता तो हम इसके लिए सहमत न होते। श्री बनर्जी तो पूर्व करार के अनुसार मिलने वाली चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो सकते थे किन्तु हम कभी तैयार न होते। हम उसे त्यागने के लिए तैयार नहीं हैं जिसे हम कानून के अन्तर्गत और समानता के आधार पर प्राप्त करने के हकदार हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि बोनस अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत सैकड़ों और हजारों समझौते रद्द किए जा चुके हैं। यदि ये समझौते हमारे हस्ताक्षरों के बिना रद्द किए जा सकते हैं तो इस विशेष समझौते के लिए हमारे हस्ताक्षरों की क्या आवश्यकता है। यदि इस देश में बोनस अधिनियम की धारा 34 (3) का संशोधन करने से सभी समझौते रद्द किए जा सकते हैं तो अन्य सांविधिक अधिनियमों के विपरीत केवल जीवन बीमा निगम ही क्यों समझौता करे और उसे न त्यागे। यदि सिद्धांत यह है कि विपक्ष इस विधेयक का विरोध करे तो मैं इसका सिद्धांत रूप में समर्थन करता हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं दोबारा नहीं बोलना चाहता था परन्तु श्री स्टीफन ने एक नई बात कह कर मुझे बोलने के लिए मजबूर कर दिया है। कार्मिक संघ से संबंध रखने वाले व्यक्ति से इस प्रकार के तर्क की आशा नहीं की जाती। श्री स्टीफन ने स्वयं विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया था। वह आज एक नई चीज कह रहे हैं कि वह तो

सिद्धांत रूप से इसका समर्थन कर रहे हैं और हम सिद्धान्त रूप से इसका विरोध कर रहे है। यह एक बोनस समझौता नहीं है। यह एक विस्तृत समझौता है जिसका बोनस एक भाग है। कुल जितनी धनराशि के लिए समझौता किया गया था उस राशि में से बोनस एक भाग था। अत: यह केवल बोनस समझौते को रद्द करने का प्रश्न नहीं है। यह केवल बोनस समझौता ही नहीं था। यह जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच एक समझौता था। यह समझौता स्वीकार करने के लिए श्रम मंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री ने काफी सहायता की थी। अब उसी समझौते को रद्द किया जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? यह इतिहास में पहली बार ही ऐसा हो रहा है। आप गलत और खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। इससे लोकतंत्र का कुछ भी नहीं रह जाएगा। अत: मैं माननीय मंत्री से फिर अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक को वापिस ले लें और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों से सारे मामले पर चर्चा करके इसे फिर प्रस्तुत करें।

मंत्री महोदय ने कर्मचारियों की कुल संख्या और उन पर हुए कुल व्यय के बारे में जो आंकड़े दिए हैं वे सही नहीं हैं। हमें उनकी जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे।

मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को पास न करवाएं। यदि यह काला विधेयक आज पास हो गया तो आज का दिन इतिहास में वह दिन माना जाएगा जब संसद् ने भारत के श्रमिक वर्ग को धोखा दिया।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि चर्चा रोचक बन गई थी। मैं समझता हूं कि अब कोई नहीं कह सकता कि इस सभा में गम्भीरता से काम नहीं होता। अब यदि यह सिद्धांत का मामला है तो इसे बहुमत पद्धति के आधार पर ही हल किया जा सकता है।

जहां तक आंकड़ों का संबंध है मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूं । सरकारी आंकड़ों के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 28,000 थी और उन्हें वेतन के रूप में 9 करोड़ रुपए दिए गए। दूसरे शब्दों में प्रत्येक कर्मचारी पर प्रति वर्ष 3000 रुपए व्यय किए गए। अब कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 58,000 हो गई है और वेतन की राशि बढ़कर 90 करोड़ रुपए हो गई है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक कर्मचारी पर औसतन प्रति वर्ष 15000 रुपए व्यय होते हैं। ये आंकड़े बिल्कुल सही हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा इस विधेयक का विरोध किए जाने के बावजूद भी मैं यही कहना चाहूंगा कि यह एक न्यायसंगत विधेयक है और इसे पास करना हमारे लिए न्यायसंगत होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पास किए जाएं।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ—

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 122; विपक्ष में 19।

Ayes-122; Noes 19.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह एक काला विधेयक है। हम इसके पक्षकार नहीं हैं।

(श्री दीनेन भट्टाचार्य, श्री एच० एन० मुखर्जी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य तत्पश्चात् सभा से बाहर चले गये।)

(Shri Dinen Bhattacharyya, Shri H. N. Mukherjee and some other hon. Members then left the House.)

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक
DISTURBED AREAS (SPECIAL COURTS BILL)

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे संबंधित मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।"

यह विधेयक राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों के अनुसरण में 1968 में पुरः-स्थापित किया गया था। इस विषय में राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया गया था और साम्प्रदायिक तथा अन्य झगड़ों को शीघ्र निपटाने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाने का निर्णय किया गया। इस विधान की एक मुख्य विशेषता यह है कि इससे विशिष्ट प्रकार के दंगे-फिसादों के मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सकेगा।

संयुक्त समिति ने मूल विधेयक पर विचार करते हुए मूल्यवान सुझाव दिए हैं। उसने विधेयक की उसके वर्तमान रूप में सिफारिश करने से पूर्व दण्ड संहिता, 1973 के उपबन्धों को ध्यान में रखा है। सरकार को आशा है कि इस विधान से उन मामलों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सकेगा जो इसके उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं।

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : में इस विधेयक का विरोध करता हूं। यह ठीक है कि इसे राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशों के अनुसरण में लाया गया है।

[**श्री इसहाक साम्भली** पीठासीन हुए
SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

पर राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिशें क्या हैं? वे केवल साम्प्रदायिक झगड़ों के सम्बन्ध में हैं। लेकिन यहां इस विधेयक में सरकार ने ऐसे अन्य मामले भी इसमें शामिल कर लिए हैं जिनका हमारे राष्ट्रीय जीवन, राजनीतिक जीवन तथा सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिश विभिन्न धर्मों, समुदायों, जातियों तथा सम्प्रदायों के दो गुटों के बीच होने वाले विवाद से संबंधित है पर विधेयक के खंड 3 में दो नई बातें भाषा और क्षेत्रीय गुटों को शामिल किया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के भाषाई भावनाओं संबंधी मतभेद को भी साम्प्रदायिक विक्षोभ माना जाएगा। क्षेत्रीय मांगों को क्षेत्रीय दंगे समझा जाएगा।

राष्ट्रीय एकता परिषद् ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि भाषायी मामलों या प्रान्तीय विवादों और झगड़ों को किसी अन्य तरीके से निपटाया जाना चाहिए। इसके लिए उसने कुछ एहतियाती और निवारक उपायों का सुझाव दिया है।

भाषा को लेकर हमारे देश में कभी-कभार झगड़े उठ खड़े होते हैं। और ये भाषागत भावनाएं तथा मांग आज भी विद्यमान हैं। उनकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई है। अतः इस बात की संभावना अब भी बनी हुई है कि लोग कभी भी यह मांग कर सकते हैं कि उनके भाषायी विवादों को हल किया जाए और उन्हें उनकी सांस्कृतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किए जाएं।

क्षेत्रीय और आर्थिक असंतुलन को लेकर कुछ स्थानीय दंगे हो सकते हैं। केन्द्र-राज्य संबंध क्षेत्रीय स्वायता, आदि जैसे प्रश्न समय-समय पर पैदा हो जाते हैं। जब तक हम इन मामलों को किसी विशिष्ट तरीके, सहनशीलता, सावधानी के साथ हल नहीं करेंगे तब तक इनका समाधान नहीं हो पाएगा। अगर आप इन विवादों को साम्प्रदायिक विवादों के तरीके से हल करना चाहेंगे तो इससे हमारे राजनीतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में गंभीर परिणाम होंगे। जिस रूप में यह विधेयक पेश किया गया है उससे भाषाई मांग, क्षेत्रीय मांग, क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की मांग आदि को साम्प्रदायिक दंगों के समान ही माना जा सकता है। इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए।

भूमि सुधार कानूनों के लागू किए जाने से भी कुछ विवाद खड़े हो सकते हैं। ये विवाद समुदायों और जातियों के बीच झगड़ों का रूप धारण कर सकते हैं। कभी-कभी ये साम्प्रदायिक दंगों का रूप भी ले सकते हैं। ऐसा भारत विभाजन के बाद हुआ है। भूमि के झगड़े ने साम्प्रदायिक झगड़े का रूप ले लिया और उसमें दोनों दलों के कुछ लोग मारे गए। आप इस प्रकार के विवाद को किस रूप में लेंगे। आप इसको साम्प्रदायिक दंगा मानेंगे या ज़मीन का झगड़ा या भूमि के लिए न्यायसंगत मांग। आप इस प्रकार के साम्प्रदायिक झगड़ों का निपटारा किस प्रकार करेंगे। आज भी देश के विभिन्न भागों में जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ स्वर्ण-हिन्दू भूमि के झगड़ों को लेकर अत्याचार करते हैं। उनके घर जला दिए जाते हैं उन्हें भी जला दिया जाता है। आप इन्हें साम्प्रदायिक विवाद कैसे मानेंगे? विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकारें किसी भी क्षेत्र को अधिसूचना जारी कर विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। जिला स्तर पर राजनीतिक विरोधी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इस आपात स्थिति में निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति जिला प्राधिकारियों की साँठगांठ से शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने पुलिस को शक्तियां प्रदान की हैं। इस मामले में भी यही हो सकता है। इस विधेयक के उपबन्धों में कुछ असंगतियां भी हैं। राज्य सरकारों को ज़रूरत से अधिक शक्ति दी जा रही है। मैं इस विधेयक में शामिल किए गए "साम्प्रदायिक विवाद और साम्प्रदायिक दंगे, भाषाई प्रान्तीय तथा अन्य वर्ग के विवाद" शब्दों का विरोध करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल : (बहराइच) : इस तर्क में कोई औचित्य नहीं है कि इस विधेयक के उपबन्धों का इस्तेमाल शान्तिपूर्ण आन्दोलनों को ब दबाने के लिए किया जाएगा। यह डर बिल्कुल निराधार है। साम्प्रदायिक दंगों, धार्मिक मतभेदों, जाति और समुदायों के मतभेदों

भाषाई और सांस्कृतिक विवादों ने इस विशाल देश की शान्ति भंग कर दी है। विभिन्न वर्ग के लोगों से सुझाव आये हैं कि इस प्रकार के दंगों को शीघ्रता और कारगर ढंग स दबाया जाना चाहिए और दंगा करने वालों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार के झगड़े सामान्य न्यायालयों द्वारा नहीं निपटाए जा सकते।

इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि जब राज्य सरकारों को समाधान हो जाता है कि शान्ति को व्यापक खतरा है तो वह अधिसूचना द्वारा संबद्ध क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर सकती है। इसमें विहित अवधि के अन्दर यदि विधेयक में दी गई अनुसूची में शामिल कोई अपराध किया जाता है तो अपराधकर्ताओं के विचारण के लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। यदि वह अपराध इस अनुसूची में शामिल अपराधों में नहीं आता तो यह धारा लागू नहीं होगी। जाति, भाषा या धर्म के झगड़े को लेकर यदि संपत्ति लूटी जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है या और कोई अपराध किया जाता है तो वह इस अनुसूची की परिभाषा में आ जाएगा। इन मामलों को सामान्य न्यायालयों में निपटाने में काफी समय लग जाता है इसलिए विशेष न्यायालयों की ज़रूरत है। इन मामलों को निपटाने के लिए यह एक द्रुत तरीका है। इन विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश वही व्यक्ति होंगे जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं। और उन्हें कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

विशेष न्यायालय को किसी अपराध पर विचार करने का अधिकार तभी होगा जब कि ऐसा मामला उसके सामने लाया जाए। यह उपबन्ध किया गया है कि यदि अपराध छोटा मोटा है और उस पर सैशन न्यायालय में विचार नहीं किया जा सकता है तो विशेष न्यायालय पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर ही विचार करेगा और उसमें भी सरकारी वकील की सम्मति होनी ज़रूरी होगी। यदि मामले पर विचार करते समय विशेष न्यायालय यह समझता है कि कोई अपराध विशेष विधेयक में शामिल अनुसूची में नहीं आता तथा उसमें उल्लिखित दंगों से उसका कोई संबंध नहीं है तो वह इसे उस न्यायालय को स्थानान्तरित कर देगा जो उस पर विचार करने के लिए सक्षम है।

SHRI M. C. DAGA (Pali) : Mr. Chairman, Sir, it is after eight years that we are considering this Bill. There were riots in Bhiwandi and in many other places. It is seen that the cases connected with these riots are not divided for years together. Therefore, it has been provided that there should be some such courts which may expidite judgements in such cases and the forces which create communalism and narrow feelings in the country should be given exemplary punishments.

The intentions of the bill are good and I support it. I would like to stress upon the fact that these courts should be given more powers and amendments should be made in the Criminal Procedure Code. The special courts should not be given the power of ransferring the cases to another court in case it is found that the cases referred to them are not connected with any such disturbances as is referred to in Section 3. This should not be there. Either there should be an acquittal or there should be a conviction. Otherwise the culprits while in the police custody will gain time and get the judgements in their favour.

श्रीमती पार्वती कृष्णन् (कोयम्बटूर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं क्योंकि गत कुछ वर्षों में हमने देखा है कि देश के विभिन्न भागों में बहुत सी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं हैं। इन घटनाओं के जो लोग शिकार हुए हैं उनका कहना है कि इन राष्ट्रविरोधी शक्तियों से निपटने के लिए पर्याप्त कार्यवाही नहीं की जा रही है। बम्बई में शिव सेना ने क्या किया है। मेरे राज्य में मलयाली और तेलुगू विरोधी विचारों को उकसाया गया दुकानें जलाईं गईं, बच्चों पर हमला किया गया और इस प्रकार की घटनाएं हुईं।

इस विधेयक में यह व्यवस्था है कि यदि सरकार किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित करे तो वहां इन मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय होंगे। मेरे विचार से और विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और मुझे आशा है कि सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी। यह राष्ट्रीय एकता का एक भाग है। किन्तु इतनी व्यवस्था से काम नहीं चलगा। हरिजनों पर अत्याचार जैसे मामलों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जिससे ये विशेष न्यायालय इन मामलों को भी शीघ्र निपटा सकें। विभिन्न प्रकार के दंगे होते हैं कहीं इनका कुछ रूप होता है तो कहीं कुछ रूप होता है। अतः मैं आशा करती हूं कि इस विधेयक के अन्तर्गत जो तन्त्र बनाया जा रहा है वह उन सब मामलों को अपने हाथ लेगा जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है।

मेरा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन है कि उन सभी साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए क्योंकि जब तक ये संगठन हमारे देश में बने रहेंगे शांति नहीं रहेगी और राष्ट्रीय एकता होने में विलम्ब होगा।

श्री धामनकर (भिवन्डी) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मंत्री महोदय को इसे लाने के लिए बधाई देता हूं। मेरे क्षेत्र में 1970 में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। जनता में बड़े उत्तेजनापूर्ण भाषण दिए गए परन्तु सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कुछ नहीं किया। इस प्रकार तीन वर्ष तक निरंतर दंगे चलते रहे। यदि सरकार ने इन तत्वों के विरुद्ध दंगे करने तथा जनता को भड़काने के लिए कड़ी कार्यवाही की होती तो भिवन्डी में 3 वर्ष के बाद कोई ऐसे दंगे नहीं हुए होते। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि आदमियों को जिन्दा जलाया जा रहा था और कोई भी उन की सहायता के लिए आगे नहीं आया। लगातार तीन दिन तक शहर में आग लगती रही।

1971 में यह विधेयक इस सभा में लाया गया और इसे संयुक्त समिति को भेजा गया। मुझे प्रसन्नता है कि छः वर्ष के बाद यह विधेयक सभा में आया है। मुझे आशा है कि इससे गुण्डा तत्वों को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। किन्तु ये दंगे बुद्धिजीवी लोगों द्वारा किए जाते हैं। जनता को भड़काने के बाद वे अपने घरों में आराम से बैठ जाते हैं और गरीब, मजदूर लोग गिरफ्तार होते हैं। भिवन्डी के मामले अभी भी न्यायालयों में चल रहे हैं। 3, 4 वर्ष के बाद ये मामले ठंडे पड़ जाते हैं और इससे लोगों को साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। आशा है कि यह विधेयक इन प्रवृत्तियों को रोकने में सहायता करेगा।

मेरा निवेदन है कि इन विशेष न्यायालयों के लिए मामलों को निपटाने के लिए कुछ अवधि निश्चित की जानी चाहिए। इन मामलों के निपटाने में विलम्ब होने से बहुत सी अनियमितताएं हो जाती हैं और कानून पसंद लोग यह महसूस करने लगते हैं कि जिन लोगों ने दंगे किए उनके विरुद्ध कुछ भी नहीं हो रहा है।

इसके अतिरिक्त हमें अन्य दंगों जैसे शिवसेना के दंगे, हरिजनों जनजातियों के साथ अत्याचार आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। इन लोगों पर जो अत्याचार किए जाते हैं उनके विरुद्ध महीनों तक कार्यवाही चलती रहती है और अन्त में वे बरी हो जाते हैं। यदि किसी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जाए तो ऐसे लोगों के दिलों में डर भर जाएगा मुझे आशा है कि इस विधेयक से दंगों को रोकने में सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। किन्तु मैं समझता हूं कि यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया जब देश में आपातकालीन स्थिति है और कहीं भी गड़बड़ी नहीं है। यद्यपि इस विधेयक का मूल उद्देश्य साम्प्रदायिक दंगों का सामना करना था किन्तु इन दंगों का कारण केवल साम्प्रदायिकता ही नहीं है। देश में साम्प्रदायिक दंगे भाषा के आधार पर भी हो जाते हैं। और ये शिवसेना जैसे कट्टरपंथी संगठनों के कारण होते हैं। रक्तपात की भयंकर कहानियों से हम अनुभव करते हैं कि इन समाज विरोधी तत्वों का सामना करने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए हिंसा, साम्प्रदायिक भावना भाषाई विवाद और अन्य जातीय भावना भड़काने वाले तत्वों से निपटने के लिए ऐसे विधेयक की लम्बे समय से आवश्यकता थी। किन्तु दुर्भाग्य से यह विधेयक ऐसे समय लाया गया है जब कोई दंगे नहीं हैं जिससे इस बात की गारंटी नहीं हो सकती है कि आपातकालीन स्थिति समाप्त होने पर फिर दंगे नहीं होंगे।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक आपातस्थिति के बाद का प्रश्न है क्या विक्षुब्ध क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह विधेयक पर्याप्त होगा अथवा सरकार का इस सम्बन्ध में और उपाय करने का विचार है।

जहां तक भूमि सुधारों का संबंध है मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि कैसे इन्हें लागू किया जाए। कुम्टे गोंका ताल्लुका के धान के क्षेत्र में 154 काश्तकारों को भूमि पर खेती करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा बाद में इन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। इन लोगों ने जमानत पर छूटने से मना कर दिया। ये भूमिहीन लोग हैं तथा हाल ही के भूमि सुधार उपायों के अनुसार ये खेती कर रहे थे। सरकार इस मामले पर विचार करे और इन भूमिहीन लोगों को न्याय दे।

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि पूरे गोकर पुलिस थाने के क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया जाए। जब तक देश के अन्दरूनी इलाके में जहां कानून की बातें नहीं पहुंच सकतीं, उन समाज विरोधी तत्वों का इस कानून और आपातस्थिति के अन्तर्गत भी दृढ़ता

से सामना नहीं किया जाता, तब तक आने वाले कई वर्षों तक समाज-विरोधी तत्वों पर नियंत्रण करना कठिन है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

SHRI HARI SINGH (Khurja) : Mr. Chairman, Sir, this Bill was long overdue. In 1968 attention of the Integrated Council was also drawn to it and it suggested the setting up of these courts. Now it has been brought at such a time when there is no communal disturbance in the country.

We live in a Society which consists of people belonging to various regions, speaking various languages and professing various faiths. In such a complex society, it is in the interest of everybody that we must live in peace. Therefore, the crimes committed in the work of communal violence need to be taken up early by the courts, so that deterrent punishment can be given to the criminals. Ordinary law courts take a long time. Therefore the provision of special courts to try the crimes of communal nature is a worthwhile provision I hope that as a result of this Bill such cases will be disposed of early and deterrent punishment will be meted out to the criminals.

Mr. Chairman, Sir, our country has a long border area. This Bill will also help the people in the border and sensitive areas and check the nefarious activities of anti-national and anti-social elements in these areas.

This Bill will expedite the disposal of cases of communal violence and this in turn will have a salutary effect in maintaining peace and order in the country. I, therefore, support this Bill and request that it may be passed.

SHRI MD. JAMILURRAHMAN (Kishanganj) : There has been widespread communal disturbances in our country in the wake of partition. These disturbances continued to take place in different parts of the country in the subsequent years also and resulted in loss of life and property of serious dimensions. Therefore, this Bill is very timely and useful.

It is hoped that as a result of the Bill there will be quick disposal of cases arising out of communal disturbances.

In the end I have to point out that in many cases there is inordinate delay in submitting charge sheets by the police after a communal disturbance. A time limit should be put in the Bill itself within which the police should submit a charge sheet to the court. This will minimise the delay in the disposal of cases.

With these words I support the Bill.

SHRI JAGANNATH MISHRA (Madhubani) : Mr. Chairman, Sir, it is the duty of the Government to ensure peace and order in the country. Wherever there is a communal disturbance, it is the poor people who really suffer. Therefore in order to see that the poor people do not suffer and the cases of the communal violence are speedily disposed of by the court, this Bill has been brought forward the Deputy Minister deserves congratulation therefor.

Why do communal riots take place ? There are two and three reasons therefor. There are certain anti-social elements who create anarchy and violence. There are political parties in the country who want to bring chaos in the country. All such elements should be dealt with severely by the Government.

It is hoped that this Bill will ensure peace and security to tribals, harijans, muslims and all those who are in majority including the weaker sections of the society. Therefore, I support this Bill wholeheartedly and thank the honourable Minister therefor.

SHRI M. C. DAGA : This Bill covers all points but I would like to know whether there is any provision for awarding punishment to the religious teachers who preach religion in Gurdwaras, temples and Mosques and thus create trouble ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इसके लिए व्यवस्था भारतीय दण्ड संहिता में है। सभापति महोदय, जिन सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है उनका मैं बहुत आभारी हूं। श्री जोरदर ने इस विधेयक का थोड़ा विरोध किया है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद् के निर्णयों के बारे में भी कहा है। यह सत्य है कि इस परिषद् ने सांप्रदायिक दंगों पर अंकुश लगाने और इस तरह के विधेयक के लिए सिफारिश करने पर बल दिया था। हम यह नहीं कह सकते कि अशांति केवल सांप्रदायिक दंगों से ही होती है। अशांति तो भाषा, जातिगत या क्षेत्रीय मतभेदों से भी होती है। इस तरह के दंगे भी हमने देखे हैं। भाषायी मतभेदों के आधार पर हमने आसाम और कछार में हिंसात्मक दंगे देखे। हम यह भी नहीं कह सकते कि ये दंगे सांप्रदायिक दंगों से कम हानिकारक होते हैं। क्षेत्रीय मतभेदों पर भी दंगे होते हैं। जैसे कि आंध्र और तेलंगाना में काफी समय तक ऐसे दंगे चले। दक्षिण भारत में हिंदी आन्दोलन हुए हैं। जब भी जनता की शांति व्यापक रूप से भंग होती है, तो इस विधेयक के उपबन्ध लागू होंगे। जहां राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होगी कि राज्य के किसी क्षेत्र में मतभेदों या विवादों के कारण जन अशांति व्यापक रूप से है तभी विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा): परन्तु यह कौन निश्चित करेगा ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : राज्य सरकार।

श्री दिनेश जोरदर : क्या यह जिला प्रशासन के प्रतिवेदन और सिफारिश के आधार पर निश्चित होगा ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : राज्य सरकार को अवश्य संतुष्ट होना चाहिए।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने शिव सेना की गतिविधियों के बारे में कहा है। यह सत्य है कि आपातस्थिति की घोषणा से पूर्व शिव सेना कार्यकर्ता इस तरह के अपराधों में कार्यरत पाए गए थे जिससे क्षेत्र, क्षेत्रवाद और भाषायी मतभेदों के आधार पर जनशांति भंग हुई। (**व्यवधान**) परन्तु आपातस्थिति लागू होने के बाद सरकार के ध्यान में ऐसी कोई बात नहीं आई है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हम न केवल शिव सेना अपितु अन्य संगठनों पर भी निगरानी रख रहे हैं।

यह भी कहा गया है कि मामले निपटाने की एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि हम इसकी कोई निश्चित अवधि निर्धारित कर सकते हैं । (**व्यवधान**) यह तो न्यायालयों पर निर्भर होगा कि वे एक निश्चित समय के भीतर मामले निपटाएं। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मामले शीघ्र निपटाना है। इसी कारण हम "विशेष न्यायालय" चाहते हैं।

यह घोषित करने के बाद कि अमुक क्षेत्र विक्षुब्ध क्षेत्र है, विशेष न्यायालय उस क्षेत्र से सम्बन्धित अपराधों पर ही विचारण करेगा वे किसी अन्य साधारण मामलों पर विचारण नहीं करेंगे । इस प्रकार मामले शीघ्र निपटाये जायेंगे और निर्णय शीघ्र हो जायेगा।

श्री नायक ने कहा है कि विधेयक ऐसे समय पर लाया गया है जब कोई दंगा नहीं हो रहा है । मुझे बड़ी खुशी है कि इस तरह का वातावरण कायम रहे। मुझे और भी खुशी होगी यदि कोई दंगा न हो और इस विधेयक के प्रयोग के लिए कोई अवसर न आए ।

इस विधेयक में सभी सदस्यों ने रुचि दिखाई है । यह विधेयक सफल साबित होगा । और इससे समूचे देश में शांति कायम करने में मदद मिलेगी ।

अतः मैं पुनः सभा की स्वीकृत के लिए इस विधेयक की सिफारिश करता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि

"कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे सम्बन्धित मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा करेंगे । प्रश्न यह है :

खण्ड 2

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, was added to the Bill.

खंड 3

संशोधन किये गये

पृष्ठ 2 पंक्ति 23, ––

"the public peace" (जन शान्ति) **के स्थान पर––**

"public peace and tranquillity" (जनशान्ति और प्रशान्ति)

प्रतिस्थापित किया जाए––(4)

पृष्ठ 2 पंक्ति 40,––

"the public peace" (जन शान्ति) **के स्थान पर**

"the public peace and tranquillity" (जन शान्ति और प्रशान्ति)

प्रतिस्थापित किया जाये ––

(श्री एफ० एच० मोहसिन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ––

"कि धारा 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 3, as amended was added to the Bill.

खंड 4 से 10 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 4 to 10 were added to the Bill.

अनुसूची

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 5, पंक्ति 14,—

"2 (c)" [2 (ग)] **के स्थान पर** "2 (d)" [2 (क)]

प्रतिस्थापित किया जाये—(6)

(श्री एफ० एच० मोहसिन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक में

जोड़ दी गई ।

The schedule, as amended, was added to the Bill.

खंड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1974" **के स्थान पर** "1976" प्रतिस्थापित किया जाये ।—(2)

(श्री एफ० एच० मोहसिन)

सभापित महोदय : प्रश्न यह है :—

"खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 as amended was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, —

"twenty fifth" (पच्चीसवें) **के स्थान पर**

"twenty seventh" (सत्ताइसवें) **प्रतिस्थापित** किया जाये । —(1)
(श्री एफ० एच० मोहसिन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The Enacting formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The title was added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये" ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

श्री दिनेश जोरदर : मैं अपने माननीय मित्र श्री मोहसिन का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । मैं उनसे यह अनुरोध करूंगा कि वह "क्षेत्रीय ग्रुप तथा अन्य श्रेणियां" शब्दों को निकाल दें । अंत: इस विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये । विधेयक में काम की केवल एक ही बात है कि मुकदमा तेज़ी से चलाया जाये । समय के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है कि कितने समय के अन्दर जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट पूरी करके विशेष न्यायालय को सौंपेंगे । यह एक त्रुटि है । पुलिस को अत्यधिक शक्तियां मिल जायेंगी । अन्ततोगत्वा यह विधेयक निर्दोष लोगों के विरुद्ध जा सकता है । अत: मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर पुनर्विचार करें और इस विधेयक में कुछ सुधार किया जा सके ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

विवाह, विधि (संसोधन) विधेयक

MARRIAGE LAWS (AMENDMENT) BILL

सभापति महोदय : अब हम विवाह विधि (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे। श्री गोखले।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

हिन्दु विधि के विकास के इतिहास से यह पता चलता है कि यह कभी भी स्थिर नहीं रहा बल्कि इसमें समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। हिन्दु विवाह अधिनियम को पारित करने के पश्चात् कुछ संसद् सदस्यों और आम जनता ने इसमें तथा विशेष विवाह अधिनियम 1954 में संशोधन करने के विभिन्न प्रकार के सुझाव दिये हैं। 1954 के विशेष विवाह अधिनियम को, एक सिविल कानून होने के कारण तथा सभी पर लागू होने के कारण विवाह सम्बन्धी कानूनों में होने वाले सुधारों के साथ आवश्यक रूप से चलना है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य तलाक सम्बन्धी उपबन्धों में उदारता लाना तथा विवाह सम्बन्धी मामलों को शीघ्र निपटाना है।

विधि आयोग ने, जिसे हिन्दुओं पर लागू होने वाले विवाह सम्बन्धी कानूनों से सम्बद्ध विभिन्न मामलों और विशेष विवाह अधिनियम के उपबन्धों की जांच के लिये कहा गया था अपना 59वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उसने हिन्दु विवाह अधिनियम 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में संशोधन करने का सुझाव दिया है यद्यपि एक ओर सरकार सक्रियता से रिपोर्ट पर विचार कर रही है तथा विधि आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये विधेयक को अन्तिम रूप दे रही है तथापि दूसरी ओर भारत में महिलाओं का दर्जा सम्बन्धित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जो कि विवाह सम्बन्धी कानूनों के बारे में है। सरकार ने सिफारिशों पर विचार किया है। इस विधेयक का उद्देश्य इन सिफारिशों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उन्हें लागू करना है।

हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत एक शर्त यह है कि कोई भी पक्ष "पागल" नहीं होना चाहिये। किन्तु "पागल" शब्द की कहीं परिभाषा नहीं की गई है अतः धारा को संशोधित की जा रही है जिससे वह परिस्थितियां स्पष्ट की जाएंगी जिसमें दिमाग की खराबी, मानसिक अस्वस्थता; उन्माद और मिर्गी के कारण विवाह अवैध समझा जायेगा।

यदि पत्नी अथवा पति समुचित कारण दिये बिना एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उनके दाम्पत्य सम्बन्धी अधिकारों को वापस दिलाने के लिये हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 9 में उपबन्ध है। यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि समुचित कारणों के प्रमाण का भार उस पक्ष पर डाला जाये जो कि अलग होता है।

आयोग की दूसरी सिफारिश यह है कि न्यायिक रूप से पृथक होने और हिन्दु विवाह अधिनियम के अन्तर्गत तलाक के कारण विशेष विवाह अधिनियम में निहित कारणों को

समान किया जाये। इस उद्देश्य के लिये धारा 10 का संशोधन किया जा रहा है। धारा 12 में भी संशोधन किया जा रहा है जिससे कि "कर्मकांड की प्रकृति या प्रत्यर्थी से सम्बन्धित किसी तात्विक तथ्य या परिस्थिति के बारे में कपट द्वारा विवाह को रोकने की व्यवस्था हो"।

इस समय पत्नी अथवा पति व्यभिचार के आधार पर तलाक ले सकते हैं। यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है, कि अपनी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से काम सम्बन्ध रखना भी तलाक होने के लिये एक कारण माना जायेगा।

अत्याचार तथा अभित्याग को भी तलाक लेने वाले कारणों में शामिल किया जा रहा है। यदि पति अथवा पत्नि में से कोई मानसिक रोग, मिर्गी अथवा कुष्ठरोग से पीड़ित है तथा जिस का उपचार सम्भव नहीं है तो इस कारण पर तलाक लेने के लिये यह आवश्यक है कि याचिका तीन वर्षों की अवधि की समाप्ति पर दायर की जाये। इस तीन वर्ष की अवधि को अब समाप्त करने का प्रस्ताव है।

न्यायिक तौर पर पृथक होने के लिये या दाम्पत्य सम्बन्धों के पुनरास्थापन के लिये आज्ञप्ति के पश्चात जो दो वर्ष की अवधि पूरी होने का उपबन्ध था उसको कम करके 1 वर्ष करने का प्रस्ताव है।

भारत में महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले जिन लड़कियों का विवाह हो गया हो उन्हें इन्कार करने का अधिकार दिया जाये। इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाये कि क्या उसका अपने पति के साथ सहवास हुआ है या नहीं। अतः इसे भी उन कारणों में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है जिस पर तलाक लिया जा सकता है या न्यायिक रूप से पृथक हुआ जा सकता है।

भारत में महिलाओं का दर्जा सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह भी सुझाव दिया है कि हिन्दु विवाह अधिनियम में परस्पर सहमति से तलाक लेने के लिये एक उपबन्ध किया जाना चाहिये। विशेष विवाह अधिनियम में ऐसा उपबन्ध है। दोनों ही अधिनियमों में याचिका दायर करने के पश्चात प्रतीक्षा की अवधि एक वर्ष से घटा कर 6 महीने की जा रही है। हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 14 में यह उपबन्ध है कि विवाह की तिथि के बाद तीन वर्ष की अवधि समाप्त हुए बिना तलाक की डिक्री द्वारा विवाह सम्बन्ध भंग करने के लिये कोई न्यायालय किसी याचिका को स्वीकार नहीं कर सकता है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही याचिका स्वीकार की जा सकती है। यह तीन वर्ष की अवधि कम करके एक वर्ष की जा रही है।

हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 15 का परन्तुक तलाक की डिक्री की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अन्दर पुनः विवाह करने से दोनों पक्षों को रोकता है । हम विधि आयोग की इस सिफारिश को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रतीक्षा की एक वर्ष की यह अवधि आवश्यक नहीं है ।

मैंने विधेयक की प्रमुख बातें बता दी हैं अब मैं इसे सदन के सामने रख रहा हूं ।

तत्पश्चात् लोक सभा 21 मई, 1976, 31 वैशाख, 1898 (शक) शुक्रवार के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, May 21, 1976/ Vaisakha 31, 1898 (Saka)

533LSS/76—200—2-9-76—GIPF.